छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

विज्ञापन क्रमांक 16/2022/परीक्षा/दिनांक 25/03/2022 — प्रकाशन की तिथि 06/04/2022

:: विज्ञापन ::

होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 01/04/2022 मध्यान्ह 12:00 बजे से 30/04/2022 रात्रि 11:59 बजे तक

महत्वपूर्ण

1. विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अभ्यर्थी को प्रवेश–पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जाँच करता है।
3. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/कैश डिपोजिट के माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
4. **उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 01/04/2022** को मध्यान्ह 12:00 बजे से **30/04/2022** रात्रि 11:59 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर किए जा सकेंगे।
5. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक **01/05/2022** अपरान्ह 12:00 बजे से **05/05/2022** रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।
6. ऑनलाईन आवेदन में सशुल्क त्रुटिसुधार का कार्य त्रुटिसुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक **06/05/2022** को मध्यान्ह 12:00 बजे से **10/05/2022** रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु रू.100/– (रूपये एक सौ) शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।
7. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रुप में भरे गये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रुप में भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

(1) भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के **चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग** के अंतर्गत **होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी** के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है:–

स.क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की **वर्गवार** संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से **केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं** के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से **निःशक्तजनों** के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मैट्रिक्स
		अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी	5	1	4	1	1	-	1	-	3 (OA/OL)	11	वेतन मैट्रिक्स लेवल–12 (56100–177500)
	बैकलॉग	-	1	8	-	-	-	-	-		9	
	कुल	5	2	12	1	-	-	-	-		20	

Abbreviations used:- OA=One Arm, OL= One Leg

<u>महत्वपूर्ण टीप</u> :–

1. **पदों की संख्या परिवर्तित हो सकती है।**
2. यह विज्ञापन संबंधित विभाग के मांग–पत्र के अनुरुप प्रकाशित किया जा रहा है।
3. उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिकाओं (क्रमांक 591/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 592/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 593/2012 तथा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 594/2012) में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।
4. छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी/मूल निवासी निःशक्तजन (OA/OL) ही मान्य होंगे।
5. **रिक्तियों में आरक्षण** :–

(i) उपरोक्त तालिका के कालम नंबर 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं एवं उपरोक्त तालिका के कॉलम नंबर 7, 8, 9 एवं 10 केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है।

(ii) **छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी (छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी) के आवेदन अनारक्षित श्रेणी**

क्रमशः

के अन्तर्गत आएंगे।

6. परीक्षा योजना परिशिष्ट–एक, पाठ्यक्रम परिशिष्ट–दो एवं ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी परिशिष्ट–तीन में उल्लेखित है।

7. ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

(2) पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य :–

(i) पद का नाम :– होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी

(ii) सेवा श्रेणी :– राजपत्रित–द्वितीय श्रेणी

(iii) वेतन मैट्रिक्स :– लेवल–12 (56100–177500)

इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(iv) आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं :–

(क) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से होम्योपैथी में स्नातक उपाधि, इन्टर्नशिप सहित या केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 04 वर्षीय डिप्लोमा के साथ किसी शासकीय संस्था में 02 वर्ष का अनुभव।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य होम्योपैथी परिषद या मंडल में स्थायी पंजीयन।

(3) **परिवीक्षा अवधि** :– चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति **03 वर्ष** की परिवीक्षा पर की जाएगी।

अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा:–

प्रथम वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत,

द्वितीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत,

तृतीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत,

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होंगे।

(ख) परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा।

महत्वपूर्ण नोट:–

(i) **अभ्यर्थी के पास उपरोक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है।**

(ii) **ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।**

(4) **निर्धारित आयु सीमा:–**

अभ्यर्थी की आयु दिनांक **01.01.2022** को **22 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो,** परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट होगी अर्थात 40 वर्ष की छूट होगी।

उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी:–

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का हो तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(ii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कांटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

(iii) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके **परिणाम–स्वरूप उच्चतम आयु सीमा, तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरण:–"छटनी किये गये सरकारी सेवक"** से तात्पर्य है जो इस राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु **आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।**

(iv) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी **परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।**

(v) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–1/2016/1–3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।

(vi) छत्तीसगढ़ राज्य स्थानीय निवासी विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये **उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।**

(vii) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(viii) राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं" को उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(ix) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2002/1–3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रुप में सेवा की है। **यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।**

(x) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 20–4/2014/आ.प्र./1–3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 एवं 17.11.2014 के अनुसार निःशक्तता से ग्रस्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(xi) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की **उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा के उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।**

महत्वपूर्ण टीप:–

(i) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2002/1–3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है, किन्तु परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2015/1–3 नया रायपुर, दिनांक 30.01.2019 में दिए गए

क्रमशः

निर्देश के अनुसार राज्य शासन के सभी विभागों/कार्यालयों में सीधी भरती के पदों में की जाने वाली भरती में छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट कैलेण्डर वर्ष 2018 तक प्रदान की गई थी, उक्त अवधि दिनांक 31.12.2018 को समाप्त हो गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2023 अर्थात् 05 वर्ष तक बढ़ाया **जाता है। अन्य विशेष वर्गो के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत् रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।**

(ii) आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट (विधवा, महिला, अनु.जाति, अनु.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक) स्थानीय निवासियों को प्राप्त होगा।

(iii) **आयु की गणना दिनांक** – 01.01.2022 के संदर्भ में की जाएगी।

(5) **अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, पंजीयन, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन–पत्र भरें।** परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। **चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन–पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।**

(6) **साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जानाः–** साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण **उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता** (Eligibility) की जांच की जाएगी।

(i) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूची।

(iii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण–पत्र यथा– स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, पंजीयन, अनुभव आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें, कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं को अंतिम तिथि तक धारित करता है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई उपाधि/अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।

(iv) **जाति प्रमाण पत्र :–**

(a) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/शुल्क/आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो **सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।**

(b) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तद्नुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

(c) अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 3 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।

(d) **यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें:–**

(i) तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

(ii) विज्ञापन की कंडिका – **4(i), 4(ii), 4(iii), 4(iv)** एवं **4(xi)** के अंर्तगत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण–पत्र।

(iii) विज्ञापन की कंडिका – **4(vii)** के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र।

(iv) विज्ञापन की कंडिका – **4(vi)** के अन्तर्गत तलाकशुदा महिला हेतु उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र।

(v) विज्ञापन की कंडिका – **4(viii)** के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार" प्राप्त होने का प्रमाण–पत्र।

(vi) विज्ञापन की कंडिका – **4(ix)** के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संविदा अनुभव" का प्रमाण–पत्र।

(vii) विज्ञापन की कंडिका – **4(x)** के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता" का प्रमाण–पत्र।

(7) **नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र :–**

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख से "अनापत्ति प्रमाण–पत्र" प्राप्त कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करें।

(ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।

(iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(8) **आपराधिक अभियोजन :–**

(A) **ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो:–**

(i) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या

क्रमशः

(ii) पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या

(iii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या

(iv) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या

(v) चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या

(vi) परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या

(vii) परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

(viii) परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

(ix) प्रवेश–पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दिये गये किन्ही भी निर्देशों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दिये गये निर्देश भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या

(x) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

(xi) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो।

(B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी–

(i) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/या

(ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा–

(a) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।

(b) राज्य शासन द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और

(c) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी,

परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि–

(i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

(9) अनर्हताः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी :–

(i) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रुप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रुप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

(iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

(iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

(v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(10) चयन प्रक्रिया :– विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन, निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं **अथवा** उच्च योग्यताओं **अथवा** दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा ''केवल'' साक्षात्कार द्वारा **अथवा** परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

टीपः– यदि विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जाएगाः–

(i) उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

(ii) परीक्षा योजना परिशिष्ट–एक तथा पाठ्यक्रम परिशिष्ट–दो में प्रकाशित है।

(iii) परीक्षा हेतु रायपुर परीक्षा केन्द्र होगा।

(iv) आवेदन प्राप्त होने की संख्या के आधार पर परीक्षा केन्द्र घटाया एवं बढ़ाया जा सकता है।

(11) ऑनलाईन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क :–

(i) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आते हैं एवं निःशक्तता से ग्रस्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए रूपये 300/– (रूपये तीन सौ) तथा शेष सभी श्रेणी के लिए एवं छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रुपये 400/– (रूपये चार सौ) आवेदन शुल्क देय होगा।

(12) ऑनलाईन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समयावधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थियों को केवल जन्मतिथि, लिंग, वर्ग, मूल निवास, दिव्यांगजन एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधित त्रुटियों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समयावधि के लिए सशुल्क दिया जाएगा।

(i) सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु संबंधित अभ्यर्थी से एक या अधिक त्रुटियों के सुधार के लिए रूपये 100/– का शुल्क लिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग/उपवर्ग से अनारक्षित वर्ग के रूप में त्रुटि सुधार किया जाए तो अभ्यर्थी से आवेदन शुल्क के अंतर की राशि भी ली जाएगी।

(ii) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में पोर्टल शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।

(iii) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार से त्रुटि सुधार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

(iv) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात संबंधित अभ्यर्थी के डाटा को अंतिम माना जाएगा तथा साक्षात्कार/अंतिम चयन के पूर्व दस्तावेज परीक्षण के दौरान उक्त डाटा का मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जाएगा।

क्रमशः

(v) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन होगी।

(13) परीक्षा के संबंध में:–

(यदि परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो)

(i) आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी को किसी प्रश्न या उत्तर विकल्प में किसी प्रकार की मुद्रण संबंधी त्रुटि, या प्रश्न त्रुटिपूर्ण होने/उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण होने या अन्य प्रकार की त्रुटि की शिकायत करना है तो उसे आयोग द्वारा दिये गये निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करनी होगी एवं तत्संबंध में आवश्यक दस्तावेज परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर को रजिस्टर्ड/पोस्ट/व्यक्तिगत रूप से आयोग में जमा कर सकते हैं।

(14) यात्रा व्यय का भुगतान :–

(i) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी हैं, छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा–पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अतः वे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण–पत्र की स्वयं के द्वारा अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि तथा यात्रा टिकिट घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें, तभी उन्हें टिकिट किराया दिया जाएगा।

(ii) **साक्षात्कार के लिये** – साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उपरोक्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों को साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया **राशि का भुगतान नियमानुसार कंडिका 14(i)** में उल्लेखित वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

(15) आयोग के प्रक्रिया नियम–2014 (यथा संशोधित) के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो, साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(16) किसी भी लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार से संबंधित प्राप्तांको की सूची तभी जारी की जाएगी, जब संबंधित विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापित पदो हेतु अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाए।

(17) विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (Interpretation):–

इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

सही/–

(जीवन किशोर ध्रुव)
सचिव
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
नवा रायपुर अटल नगर

परिशिष्ट–एक,
''परीक्षा योजना''

(1) चयन दो चरणों में होगी, प्रथम चरण परीक्षा एवं द्वितीय चरण साक्षात्कार।

परीक्षा	–	300 अंक
साक्षात्कार	–	30 अंक
कुल	–	**330 अंक**

(2) **परीक्षाः–**

(i) परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के एक प्रश्न पत्र निम्नानुसार होगाः–

प्रश्न पत्र

प्रश्नों की संख्या 150 3:00 घंटे अंक 300

भाग 1 – छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान – 50 प्रश्न (100 अंक)

भाग 2 – होम्योपैथी – 100 प्रश्न (200 अंक)

कुल – 150 प्रश्न (300 अंक)

(3) परीक्षा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (बहु विकल्प प्रश्न) प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिये चार संभाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ, ब, स, और द में समूहीकृत किया जाएगा जिनमें से केवल एक उत्तर सही/ निकटतम सही होगा, उम्मीदवार को उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही/निकटतम सही माने गये अ, ब, स या द में से केवल एक विकल्प का चयन करना होगा।

(4) प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाएगाः –

$$MO = M \times R - {}^{1}/_{3} M \times W$$

जहां MO = अभ्यर्थी के प्राप्तांक, M = एक सही उत्तर के लिए निर्धारित प्राप्तांक अथवा प्रश्न विलोपित किए जाने की स्थिति में पुनः निर्धारित प्राप्तांक, R = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या तथा W = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या है। उक्त सूत्र का प्रयोग कर प्राप्तांकों की गणना दशमलव के चार अंकों तक की जाएगी।

(5) पाठ्यक्रम की जानकारी **परिशिष्ट–दो** में दी गई है।

(6) लिखित/कौशल/अनुवीक्षण परीक्षा में अनारक्षित तथा अनारक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक प्रश्न–पत्र में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। आरक्षित वर्ग एवं आरक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक प्रश्न–पत्र में न्यूनतम 23 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसे अनर्ह घोषित किया जाएगा।

(7) **साक्षात्कारः–** साक्षात्कार के लिए कोई अर्हकारी न्यूनतम अंक नहीं है।

(8) **साक्षात्कार** के लिए आमंत्रित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग तीन गुनी होगी। केवल वे उम्मीदवार, जिन्हें आयोग द्वारा परीक्षा में अर्ह घोषित किया जावेगा, वे साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे।

(9) **आयोग के प्रक्रिया नियम–2014 (यथा संशोधित) के अनुसार** विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो, साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(10) **चयन सूचीः–** उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा।

(11) चयन प्रक्रिया आयोग के प्रक्रिया नियम–2014 (यथा संशोधित) के अनुसार प्रावधानित होगी।

□□□□□

परिशिष्ट–दो,
''पाठ्यक्रम''

भाग-1 छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान

1. छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान।
2. छत्तीसगढ़ का भूगोल, जल, खनिज संसाधन, जलवायु एवं भौतिक दशायें।
3. छत्तीसगढ़ की साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति।
4. छत्तीसगढ़ की जनजातियां, बोली, तीज एवं त्यौहार।
5. छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि।
6. छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढ़ांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज।
7. छत्तीसगढ़ में मानव संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन।
8. छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समसामयिक घटनाएं।

Part-1 General Knowledge of Chhattisgarh

1. History of Chhattisgarh and contributions of Chhattisgarh in freedom struggle.
2. Geography, water, mineral resources, climate and physical conditions.
3. Literature, music, dance, art and culture of Chhattisgarh.
4. Tribals, dialects, teej and festivals of Chhattisgarh.
5. Economy, forest and agriculture of Chhattisgarh.
6. Administrative structure of Chhattisgarh, local government and Panchayati Raj.
7. Human Resources and energy resources in Chhattisgarh.
8. Education, health and contemporary events in Chhattisgarh.

भाग-2 :: होम्योपैथी ::

1. HOMOEOPATHIC MATERIA MEDICA

(a) Definition, Classification and Sources of Homoeopathic Materia Medica
(b) Scope and Limitations of Homoeopathic Materia Medica.
(c) Theory of Biochemic system of medicine, its history, concepts and principles according to Dr. Wilhelm Heinrich Schuessler. Study of 12 biochemic medicines. (tissue remedies)
(d) Science and Philosophy of Homoeopathic Materia Medica.
(e) Concept of Nosodes- Definition of Nosodes, Types of Nosodes, general indications of Nosodes.
(f) Concept of Mother Tincture.
(g) Concepts of constitution, temperaments, diathesis.
(h) Sarcodes- definition and indications.
(i) The Homeopathic medicines be under the following headings, namely.

Common name, Family, Habitat, Parts used, Preparation, Constituents , Proving data, Sphere of action, Symptomatology of the medicine, The characteristic symptoms (mental, physical generals and particulars including sensations, Modalities and concomitants) and Constitution, Comparative study of medicines, Drug pictures, Drug relationships , Therapeutic applications (applied Materia Medica)

Name of Homoeopathic Medicines

1	Aconitum napellus	2	Alumina
3	Aethusa cynapium	4	Ambra grisea
5	Allium cepa	6	Ammonium carbonicum
7	Aloe socotrina	8	Ammonium muriaticum
9	Antimonium crudum	10	Anacardium orientale
11	Antimonium tartaricum	12	Apocynum cannabinum
13	Apis mellifica	14	Arsenicum lodatum
15	Argentum nitricum	16	Asafoetida
17	Arnica Montana	18	Aurum metallicum
19	Arsenicum album	20	Abies canadensis
21	Arum triphyllum	22	Abies nigra
23	Acetic acid	24	Abrotanum
25	Actea spicata	26	Anthracinum
27	Agaricus muscarius	28	Acalypha indica
29	Agnus castus	30	Abroma augusta
31	Aesculus hippocastanum	32	Adrenalinum
33	Antimonium arsenicosum	34	Artemesia vulgaris
35	Avena sativa	36	Asterias rubens
37	Argentum metallicum	38	Adonis vernalis
39	Baryta muriatica	40	Borax
41	Baptisia tinctoria	42	Bovista lycoperdon
43	Bellis perrenis	44	Bromium
45	Bryonia alba	46	Bufo rana
47	Baryta carbonica	48	Bacillinum
49	Belladonna	50	Bacillus No. 7
51	Benzoic acid	52	Blatta orientalis
53	Berberis vulgaris	54	Bismuth
55	Calcarea carbonica	56	Cannabis sativa
57	Calcarea fluorica	58	Cantharis vesicatoria
59	Calcarea phosphoric	60	Carbo vegetabilis
61	Calcarea sulphurica	62	Chelidonium majus
63	Calendula officinalis	64	Conium maculatum
65	Chamomilla	66	Crotalus horridus
67	Cina	68	Croton tiglium
69	Cinchona officinalis	70	Cyclamen europaeum
71	Colchicum autumnale	72	Carbo animalis
73	Colocynthis	74	Carbolic acid
75	Cactus grandiflorus	76	Cundurango
77	Caladium seguinum	78	Coralliumrubrum
79	Calcarea arsenicosa	80	Crataegusoxyacanta
81	Camphora	82	Caulophyllum
83	Cannabis indica	84	Cocculus indicus
85	Capsicum	86	Crocus sativus
87	Cedron	88	Cicuta virosa
89	Collinsonia canadensis	90	Clematis erecta
91	Cuprum metallicum	92	Calotropis gigantea
93	Causticum	94	Carica papaya
95	Chininum arsenicosum	96	Cassia sophera
97	Cholesterinum	98	Carcinosin
99	Coca erythroxylon	100	Carduus marianus
101	Ceanothus	102	Coffea cruda
103	Drosera	104	Dioscorea villosa
105	Dulcamara	106	Diphtherinum
107	Dysentery co	108	Digitalis purpurea
109	Euphrasia	110	Eupatorium

क्रमशः

			perfoliatum
111	Equisetum hyemale	112	Erigeron canadensis
113	Ferrum metallicum	114	Ferrum phosphoricum
115	Fluoricum acidum	116	Ficus religiosa
117	Gelsemium	118	Graphites
119	Gaertner	120	Glonoine
121	Hepar sulph	122	Hydrastis canadensis
123	Hypericum perforatum	124	Hydrocotyle asiatica
125	Helleborus niger	126	Helonias dioica
127	Hyoscyamus niger	128	Ipecacuanha
129	Ignatia amara	130	Iodium
131	Jonosia asoca	132	Justicia adhatoda
133	Kali phosphoricum	134	Kali muriaticum
135	Kali bichromicum	136	Kali sulphuricum
137	Kali bromatum	138	Kreosotum
139	Kali carbonicum	140	Kalmia latifolia
141	Lycopodium clavatum	142	Ledum palustre
143	Lac caninum	144	Lachesis muta
145	Lac defloratum	146	Lithium carbonicum
147	Lobelia inflata	148	Lillium tigrinum
149	Lyssin	150	Magnesia carbonica
151	Magnesium phosphoricum	152	Magnesia muriatica
153	Moschus	154	Medorrhinum
155	Murex purpurea	156	Mezereum
157	Muriatic acid	158	Melilotus
159	Mephitis putorius	160	Millefolium
161	Mercurius corrosivus	162	Mercurius solubilis
163	Mercurius cyanatus	164	Mercurius sulphuricus
165	Mercurius dulcis	166	Malandrinum
167	Morgan pure	168	Menyanthes
169	Morgan gaertner	170	Naja tripudians
171	Natrum muriaticum	172	Natrum carbonicum
173	Natrum phosphoricum	174	Nitric acid
175	Natrum sulphuricum	176	Nux moschata
177	Nux vomica	178	Ocimum sanctum
179	Opium	180	Onosmodium
181	Oxalic acid	182	Picric acid
183	Pulsatilla	184	Platinum metallicum
185	Petroleum	186	Podophyllum
187	Phosphoric acid	188	Psorinum
189	Phosphorus	190	Pyrogenium
191	Phytolacca decandra	192	Proteus bacillus
193	Passiflora incarnata	194	Physostigma venenosum
195	Plumbum metallicum	196	Rheum palmatum
197	Rhus toxicodendron	198	Rauwolfia serpentina
199	Ruta graveolens	200	Rhododendron chrysanthum
201	Raphanus sativus	202	Ranunculus bulbosus
203	Radium bromatum	204	Ratanhia peruviana
205	Rumex crispus	206	Secale cornutum
207	Silicea	208	Selenium
209	Spongia tosta	210	Sepia
211	Sulphur	212	Staphysagria
213	Symphytum officinale	214	Stramonium
215	Syphilinum	216	Sulphuric acid
217	Sanicula aqua	218	Sabal serrulata
219	Sambucus nigra	220	Sarsaparilla officinalis
221	Squilla maritima	222	Stannum metallicum
223	Sanguinaria canadensis	224	Sticta pulmonaria
225	Spigelia	226	Sycotic bacillus
227	Syzigium jambolanum	228	Sabina
229	Sabadilla officinalis	230	Terebinthina
231	Thuja occidentalis	232	Theridion
233	Tabacum	234	Thlaspi bursa pastoris
235	Taraxacum officinale	236	Thyroidinum
237	Tarentula cubensis	238	Trillium pendulum
239	Urtica urens	240	Ustilago maydis
241	Veratrum album	242	Vinca minor
243	Vaccininum	244	Viburnum opulus
245	Variolinum	246	Valeriana officinalis
247	Veratrum viride	248	Zincum metallicum
249	X - ray		

Group studies

1	Acid group	8	Calcarea group
2	Carbon group	9	Magnesia group
3	Kali group	10	Natrum group
4	Ophidia group	11	Compositae family
5	Mercurius group	12	Ranunculacae family
6	Spider group	13	Solonacae family
7	Baryta group		

2. ORGANON OF MEDICINE WITH HOMOEOPATHIC PHILOSOPHY

A. ORGANON OF MEDICINE

(a) Short history of Hahnemann's life, his contributions, and discovery of Homoeopathy, situation leading to discovery of Homoeopathy

(b) Brief life history and contributions of early pioneers of homoeopathy like C.V. Boenninghausen, J.T. Kent, Hering, Rajendra Lal Dutta, M.L. Sircar

(c) History and Development of Homoeopathy in India, U.S.A. and European countries

(d) Fundamental Principles of Homoeopathy.

(e) Basic concept of: Health , Disease, Cure: Hahnemann's concept and modern concept,.

(f) Different editions and constructions of Hahnemann's Or ganon of Medicine.

(g) Homoeopathic Prophylaxis

(h) Aphorisms 01-294 including foot notes of Organon of Medicine (5th & 6th Editions translated by R.E. Dudgeon and W. Boericke).

(i) Evolution of medical practice of the ancients (Prehistoric Medicine, Greek Medicine, Chinese medicine, Hindu medicine and Renaissance) and tracing the empirical, ra tionalistic and vitalistic thoughts.

(j) Chronic Diseases:

" Hahnemann's Theory of Chronic Diseases.

"J.H. Allen's The Chronic Miasms - Psora and Pseudo-psora; Sycosis

B. Psychology and Logic

(a) Logic - inductive and deductive logic (with reference to philosophy book of Stuart Close Chapter 3 and 16).

(b) Psychology

a. Basics of Psychology.

b. Study of behavior and intelligence.

c. Basic concepts of Sensations , Emotion, Motivation, Personality, Anxiety, Conflict, Frustration, Depression, Fear, Psychosomatic Manifestations,Dreams.

C. Homoeopathic philosophy:

a. Chapters of Philosophy books of J.T. Kent (Chapters 01 to 37), Stuart Close (Chapters- 01 to 15 and 17) and H.A. Roberts (Chapters 1 to 35), Richard Hughes (Chapters- 1 to 10) and C. Dunham (Chapters- 1 to 7). related to Apho risms 29-294 of Organon Medicine

b. Symptomatology: Details regarding Symptomatology are to be comprehended by referring to the relevant aphorisms of Organon of medicine and chapters of the books on

Homoeopathic philosophy.

c. Causations: Thorough comprehension of the evolution of disease, taking into account pre-disposing, fundamental, exciting and maintaining causes.

d. Case taking: Hahnemann's concept of method of case tak ing.

e. Case processing: This includes,
1. Analysis of Symptoms 2. Evaluation of Symptoms
3. Miasmatic diagnosis 4. Totality of symptoms

3. REPERTORY

1. Repertory: Definition and Classification and Scope and Limitations.
2. Comparative study of different repertories (like Kent's Rep ertory, Boenninghausen's Therapeutic Pocket Book and Boger- Boenninghausen's Charactetristic Repertories, A Synoptic Key to Materia Medica).

(a) History (b) Philosophical background (c) Structure (d) Concept of Repertorisation (e) Adaptability (f) Scope (g) Limitations

3. Gradation of Remedies by different authors.
4. Methods and techniques of repertorisation. Steps of repertorisation.
5. Terms and language of repertories (Rubrics) cross refer ences in other Repertories and Materia Medica.
6. Conversion of symptoms into rubrics and repertorisation using different repertories.
7. Repertory - its relation with Organon of medicine and Materia Medica.
8. Case taking:
9. Case processing
(a) analysis and evaluation of symptoms
(b) miasmatic assessment
(c) totality of symptoms or conceptual image of the patient
(d) repertorial totality (e) selection of rubrics
(f) repertorial technique and results
(g) repertorial analysis
10. Card repertories and other mechanical aided repertories- History, Types and Use.
11. Concordance repertories (Gentry and Knerr)
12. Clinical Repertories (William Boericke etc.)
13. An introduction to modern thematic repertories- (Synthetic, Synthesis and Complete Repertory, Murphy's Repertory)
14. Regional repertories
15. Role of computers in repertorisation and different softwares.

4. HOMOEOPATHIC PHARMACY

I. General concepts and orientation:
(a) History of pharmacy.
(b) Official Homoeopathic Pharmacopoeia (Germany, Brit ain, U.S.A., India).
(c) scientific names, common names, synonyms of Homoeopathic Drugs .
(d) Definitions and Components in homoeopathic pharmacy.
(e) Weights and measurements.
(f) Nomenclature of homoeopathic drugs with their anoma lies.

II. Raw Material: drugs and vehicles
(a) Sources of drugs. (b) Collection of drug substances.
(c) Vehicles.
(d) Homoeopathic Pharmaceutical Instruments and appli ances and Laboratory Methods .

III. Homoeopathic Pharmaceutics:
(a) Mother tincture and its preparation - old and new meth ods.
(b) Various scales used in homoeopathic pharmacy.
(c) Posology.
(d) Drug dynamisation or potentisation. (e) External applications
(f) Doctrine of signature. (g) Prescription (including abbre viations).
(h) Concept of placebo.
(i) Pharmaconomy - routes of homoeopathic drug admin istration.

IV. Pharmacodynamics:
(a) Homoeopathic Pharmacodynamics
(b) Drug Proving and merits and de-merits of Drug Prov ing on Humans and Animals.

V. Quality Control:
(a) Standardisation of homoeopathic medicines.
(b) industrial pharmacy
(c)Homoeopathic pharmacopoeia laboratory

VI. Legislations pertaining to pharmacy:
(a) The Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) {in relation to Homoeopathy};
(b) Drugs and Cosmetics Rules, 1945 (in relation to Homoeopathy)
(c) Poisons Act, of 1919(12 to 1919)
(d) The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985);
(e) Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertise ments) Act, 1954 (21 of 1954);
(f) Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955 (16 of 1955).9

5. PRACTICE OF MEDICINE WITH HOMEOPATHIC THERAPEUTICS

A. The study of the above concept of individualisation is essen tial with the a Following background so that the striking features which are characteristic to the individual become clear, in contrast to the common picture of the respective disease conditions, namely:-

a) correlation of the disease conditions with basics of anatomy, physiology and, biochemistry and pathology.

b) knowledge of causation, manifestations, diagnosis (in cluding differential diagnosis), prognosis and manage ment of diseases.

c) application of knowledge of Organon of medicine and Homoeopathic philosophy in dealing with the disease con ditions.

d) comprehension of applied part.

B. Theory

1. Applied anatomy and applied physiology of the respec tive system as stated below.
2. Respiratory diseases.
3. Diseases of digestive system and peritoneum.
4. Diseases concerning liver, gall-bladder and pancreas.
5. Genetic Factors (co-relating diseases with the concept of chronic miasms).
6. Immunological factors in diseases with concept of sus ceptibility (including HIV, Hepatitis-B)
7. Disorders due to chemical and physical agents and to climatic and environmental factors.
8. Knowledge of clinical examination of respective sys tems.
9. Water and electrolyte balance - disorders of.

क्रमशः

10. Nutritional and metabolic diseases
11. Diseases of haemopoietic system.
12. Endocrinal diseases.
13. Infectious diseases.
14. Diseases of cardiovascular system.
15. Diseases of urogenital Tract.
16. Disease of CNS and peripheral nervous system.
17. Psychiatric disorders.
18. Diseases of loco motor system (connective tissue, bones an joints disorders)
19. Diseases of skin and sexually transmitted diseases.
20. Tropical diseases.
21. Pediatric disorders.
22. Geriatric disorders.
23. Applied anatomy and applied physiology of different or gan and systems relating to specific diseases
24. Knowledge of clinical examination of respective systems.

C. Rational assessment of prognosis and general manage ment of different disease conditions are also to be focused.

D. The emphasis shall be on study of man in respect of health, disposition, diathesis, disease, taking all predisposing and precipitating factors, i.e. fundamental cause, maintaining cause and exciting cause;

E. Hahnemann's theory of chronic miasms provides us an evo lutionary understanding of the chronic diseases: psora, sycosis, syphilis and acute manifestations of chronic dis eases and evolution of the natural disease shall be com prehended in the light of theory of chronic miasms.

F. General management and homoeopathic therapeutics for all the topics to be covered.

6- COMMUNITY MEDICINE INCLUDING NATIONAL HEALTH PROGRAM

Physician's has to be well conversant with the national health problems of rural as well as urban areas, so that he can be assigned responsibilities to play an effective role not only in the field of curative but also preventive and social medicine including family planning and the measures for the promotion of positive health.

Theory:

1. Man and Medicine
2. Concept of health and disease in conventional medicine and homoeopathy
3. Nutrition and health-
   (a) Food and nutrition
   (b) Food in relation to health and disease
   (c) Balanced diet
   (d) Nutritional deficiencies, and Nutritional survey
   (e) Food Processing
   (f) Pasteurization of milk
   (g) Adulteration of food
   (h) Food Poisoning
4. Environment and health-
   (a) air, light and sunshine, radiation.
   (b) effect of climate (c) comfort zon
   (d) personal hygiene (e) physical exercise
   (f) sanitation of fair and festivals
   (g)disinfection and sterilization
   (h) air borne diseases
   (i) atmospheric pollution and purification of air
5. **Water -**
   (a) distribution of water; uses; impurities and purification
   (b) standards of drinking water
   (c) water borne diseases
   (d) excreta disposal
   (e) disposal of deceased.
   (f) disposal of refuse.
   (g) medical entomology- insecticides, disinfection, Insects in relation to disease, Insect control.
6. Occupational health
7. Preventive medicine in pediatrics and geriatrics.
8. Epidemiology
   (a) Principles and methods of epidemiology
   (b) Epidemiology of communicable diseases:
   - General principles of prevention and control of communi cable diseases
   (c) Communicable diseases: their description, mode of spread and method of prevention.
   (d) Protozoan and helminthes infections- Life cycle of pro tozoa and helminthes, their prevention.
   (e) Epidemiology of non-communicable diseases: general principles of prevention and control of non- communicable diseases
   (f) Screening of diseases
9. Bio-statistics
   (a) Need of biostatistics in medicine
   (b) Elementary statistical methods
   (c) Sample size calculation
   (d) Sampling methods
   (e) Test of significance
   (f) Presentation of data
   (g) Vital statistics
10. Demography and Family Planning; Population control; con traceptive practices; National Family Planning Programme.
11. Health education and health communication
12. Health care of community.
13. International Health
14. Mental Health
15. Maternal and Child Health
16. School Health Services
17. National Health Programs of India including Rashtriya Bal Chikitsa Karyakram.
18. Hospital waste management
19. Disaster management

7. SURGERY, INCLUDING ENT, OPHTHALMOLOGY & DENTAL WITH HOMOEOPATHIC THERAPEUTICS

I (a) Homoeopathy as a science needs clear application on part of the physician to decide about the best course of action(s) required to restore the sick, to health;
(b) Knowledge about surgical disorders is required to be grasped so that the Homoeopathic Physician is able to:-
(1) Diagnose common surgical conditions.
(2) Institute homoeopathic medical treatment.

II For the above conceptual clarity and to achieve the afore said objectives, an effective co-ordination between the treat ing surgeons and homoeopathic physicians is required keeping in view the holistic care of the patients and it will also facilitate the physician in individualizing the patient, necessary for homoeopathic treatment and management.

Theory:

(a) General Surgery:-

Introduction to surgery and basic surgical principles, Fluid, electrolytes, acid-base balance. Hemorrhage, homeostasis, blood transfusion, Boil, abscess, carbuncle, cellulites, Erysipelas, Acute and chronic infections, tumors, cysts, ulcers, sinus and fistula, Injuries of various types; preliminary management of head injury, Wounds, tissue repair, scars and

क्रमशः

wound infections, Special infections (Tuberculosis, Syphilis, Acquired Immuno Deficiency Syndrome, Actinomycosis, Leprosy), Burn, Shock, Nutrition, Pre-operative and post-operative care.

(b) Systemic Surgery :-

Diseases of blood vessels, lymphatic's and peripheral nerves, Diseases of glands, Diseases of extremities, Diseases of thorax and abdomen, Diseases of alimentary tract, Diseases of liver, spleen, gall bladder and bile duct, Diseases of abdominal wall, umbilicus, hernias, Diseases of heart and pericardium, Diseases of urogenital system, Diseases of the bones, cranium, vertebral column, fractures and dislocations, Diseases of the joints, Diseases of the muscles, tendons and fascia.

(c) Ear:-

Applied anatomy and applied physiology of ear, Examination of ear, Diseases of external, middle and inner ear.

(d) Nose :-

Applied anatomy and physiology of nose and paranasal sinuses, Examination of nose and paranasal sinuses, Diseases of nose and paranasal sinuses.

(e) Throat :-

Applied Anatomy and applied Physiology of pharynx, larynx, tracheobronchial tree, esophagus, Examination of pharynx, larynx, tracheobronchial tree, esophagus, Diseases of Throat (external and internal), Diseases of esophagus.

(f) Ophthalmology :-

Applied Anatomy, Physiology of eye, Examination of eye, Diseases of eyelids, eyelashes and lacrimal drainage System, Diseases of Eyes including injury related problems.

(g) Dentistry :-

Applied anatomy, physiology of teeth and gums, Milestones related to teething, Examination of Oral cavity, Diseases of gums, Diseases of teeth, Problems of dentition

" General management, surgical management and homoeopathic therapeutics of the above topics will be covered.

8. GYNECOLOGY AND OBSTETRICS WITH HOMOEOPATHIC THERAPEUTICS

Homoeopathy adopt the same attitude towards this subject as it does towards Medicine and Surgery, but while dealing with Gynecology and Obstetrical cases, a Homoeopathic physician must be trained in special clinical methods of investigation for diagnosing local conditions and individualizing cases, the surgical intervention either as a life saving measure or for removing mechanical obstacles, if necessary, as well as their management by using homoeopathic medicines and other auxiliary methods of treatment;

Theory:

A. Gynecology

(a) A review of the applied anatomy of female reproductive systems-development and malformations.

(b) A review of the applied physiology of female reproductive systems-puberty, menstruation and menopause.

(c) Gynecological examination and diagnosis. (d) Developmental anomalies.

(e) Uterine displacements. (f) Sex and intersexuality.

(g) Infections and ulcerations of the female genital organs.

(h) Injuries of the genital tract.

(i) Disorders of menstruation.

(j) Menorrhagia and dysfunctional uterine bleeding.

(k) Disorders of female genital tract.

(l) Diseases of breasts.

(m) Sexually transmitted diseases.

(n) Endometriosis and adenomyosis.

(o) Infertility and sterility.

(p) Non-malignant growths.

(q) Malignancy.

(r) Chemotherapy caused complications.

" Homoeopathic Management and therapeutics of the above listed topics in gynecology.

B. Obstetrics

(a) Fundamentals of reproduction.

(b) Development of the intrauterine pregnancy-placenta and fetus.

(c) Diagnosis of pregnancy-investigations and examination.

(d) Antenatal care.

(e) Vomiting in pregnancy.

(f) Preterm labour and post maturity.

(g) Normal labour and puerperium.

(h) Induction of labour.

(i) Postnatal and puerperal care.

(j) Care of the new born

(k) High risk labour; mal-positions and mal- presentations; twins, prolapsed of cord and limbs, abnormalities in the action of the uterus; abnormal conditions of soft part contracted pelvis; obstructed labour, of 3rd stage of labour, injuries of birth canal, fetal anomalies.

(l) Abnormal pregnancies-abortions, molar pregnancy, diseases of placenta and embranes, toxemia of pregnancy, antepartum hemorrhages, multiple pregnancy, protracted gestation, ectopic pregnancy, intrauterine growth retardation, pregnancy in Rh negative woman, intrauterine fetal death, still birth.

(m) Common disorders and systemic diseases associated with pregnancy.

(n) Pre-natal Diagnostic Techniques Act, 1994.

(o) Common obstetrical operations-medical termination of pregnancy, criminal abortion, caesarean section, episiotomy.

(P) Emergency obstetric care.

(q) Population dynamics and control of conception.

(r) Infant care - neonatal hygiene, breast feeding, artificial feeding, management of premature child, asphyxia, birth injuries, common disorders of newborn.

(s) Reproductive and child health care
(a) safe motherhood and child survival
(b) Risk approach -MCH care
(c) Maternal mortality and morbidity 3
(d) Perinatal mortality and morbidity
(e) Diseases of fetus and new born.

(t) Medico-legal aspects in obstetrics.

" Homoeopathic Management and Therapeutics of the above listed clinical conditions in Obstetrics.

9. PATHOLOGY AND MICROBIOLOGY

Pathology and microbiology shall be taught in relation to the concept of miasms as evolved by Samuel Hahnemann and further developed by JT Kent, H.A. Robert, J.H. Allen and other stalwarts, with due reference to Koch's postulate, correlation with immunity, susceptibility and thereby emphasizing homoeopathic concept of evolution of disease and cure;

Theory:

A. Pathology and Homoeopathic Relation

क्रमशः

1. Pathology in relation with Homoeopathic Materia Medica.
2. Correlation of miasms and pathology.
3. Characteristic expressions of each miasm.
4. Classification of symptoms and diseases according to pa thology.

B. General Pathology

1. Cell Injury and cellular adaptation
2. Inflammation and repair (Healing).
3. Immunity
4. Degeneration
5. Thrombosis and embolism
6. Oedema
7. Disorders of metabolism
8. Hyperplasia and hypertrophy
9. Anaplasia
10. Metaplasia
11. Ischaemia
12. Haemorrhage
13. Shock
14. Atrophy
15. Regeneration
16. Hyperemia
17. Infection
18. Pyrexia
19. Necrosis
20. Gangrene
21. Infarction
22. Amyloidosis
23. Hyperlipidaemia and lipidosis
24. Disorders of pigmentation
25. Neoplasia
26. Calcification
27. Effects of radiation
28. Hospital infection

C. Systemic pathology

1. Mal-nutrition and deficiency diseases.
2. Diseases of Cardiovascular system
3. Diseases of blood vessels and lymphatic's
4. Diseases of kidney and lower urinary tract
5. Diseases of male reproductive system and prostate
6. Diseases of the female genitalia and breast.
7. Diseases of eye, ENT and neck
8. Diseases of the respiratory system.
9. Diseases of the oral cavity and salivary glands.
10. Diseases of the G.I. system
11. Diseases of liver, gall bladder, and biliary ducts
12. Diseases of the pancreas (including diabetes mellitus)
13. Diseases of the haemopoetic system, bone marrow and blood
14. Diseases of glands-thymus, pituitary, thyroid, and parathy roid, adrenals, parotid.
15. Diseases of the skin and soft tissue. 16. Diseases of the musculo-skeletal system.
17. Diseases of the nervous system.
18. Leprosy

D. Microbiology

(I) General Topics:

1.Introduction
2. History and scope of medical microbiology
3. Normal bacterial flora
4. Pathogenicity of micro-organisms
5. Diagnostic microbiology

(II) Immunology:

1. Development of immune system
2. The innate immune system
3. Non-specific defense of the host
4. Acquired immunity
5. Cells of immune system; T cells and Cell mediated im munity; B cells and Humoral Immunity
6. The compliment system
7. Antigen; Antibody; Antigen - Antibody reactions (Anaphy lactic and Atopic); Drug Allergies
8. Hypersensitivity
9. Immuno-deficiency
10. Auto-immunity
11. Transplantation
12. Blood group antigens
13. Clinical aspect of immuno-pathology.

(III) Bacteriology:

1. Bacterial structure, growth , metabolism, genetics, bac teriophage, Identification and cultivation of bacteria
2. Gram positive aerobic Bacteria.
3. Gram positive anaerobic Bacteria
4. Gram negative aerobic Bacteria.
5. Gram negative anaerobic Bacteria
6. Others Bacteria - cholerae vibrio, spirochetes, leptospi rae, mycoplasma, Chlamydia, rickettsiae, Yesinia and pasturella.

(IV) Fungi and Parasites:

1. Fungi 2. Protozoa 3. Helminthes

(V) Virology:

1. Introduction 2. Nature and classification of viruses
3. Morphology and replication of viruses
4. DNA viruses 5. RNA viruses 6. Clinical microbiology:
7. Diagnostic procedures in microbiology
8. Disinfection and sterilization

(VI) Histopathology

" Pathological findings of diseases; their interpretation, correlation and usage in the management of patients under homoeopathic treatment.

10. FORENSIC MEDICINE AND TOXIOCOLOGY

Medico-legal examination is the statutory duty of every registered medical practitioner, whether he is in private practice or engaged in Government sector and in the present scenario of growing consumerism in medical practice, the teaching of Forensic Medicine and Toxicology to the students is highly essential;

The students shall also acquire knowledge of laws in relation to medical practice, medical negligence and codes of medical ethics and they shall also be capable of identification, diagnosis and treatment of the common poisonings in their acute and chronic state and also dealing with their medico-legal aspects;

Theory:

A. Forensic Medicine

1. Introduction

Definition of forensic medicine, History of forensic medicine in India, Medical ethics and etiquette, Duties of registered medical practitioner in medico-legal cases.

2. Legal procedure

Inquests, courts in India, legal procedure, Medical evidences in courts, dying declaration, dying deposition, including medical certificates, and medico-legal reports.

3. Personal identification

Determination of age and sex in living and dead; race, reli gion, Dactylography , DNA finger printing, foot print,Medico-legal importance of bones, scars and teeth, tattoo marks,

क्रमशः

hand writing, anthropometry, Examination of biological stains and hair.

4. Death and its medico-legal importance

Death and its types, their medico-legal importance, Signs of death , Asphyxial death (mechanical asphyxia and drown ing), Deaths from starvation, cold and heat etc.

5. Injury and its medico-legal importance

Mechanical, thermal, firearm, regional, transportation and traffic injuries; injuries from radiation, electrocution and light ening.

6. Forensic psychiatry

Definition; delusion, delirium, illusion, hallucinations; impulse and mania; classification of Insanity, Development of insan ity, diagnosis, admission to mental asylum.

7. Post-mortem examination (autopsy)

8. Impotence and sterility

9. Virginity, defloration; pregnancy and delivery

10. Abortion and infanticide

11. Sexual Offences

B. Toxicology

1. General Toxicology

(a) Forensic Toxicology and Poisons
(b) Diagnosis of poisoning in living and dead
(c) General principles of management of poisoning
(d) Medico-legal aspects of poisons
(e) Antidotes and types.

2. Clinical toxicology

Types of Poisons:

(a) Corrosive poisons
(b) Irritant poisons
(c) Asphyxiante poisons
(d) Neurotic poisons
(e) Cardiac poisons
(f) Miscellaneous poisons - Analgesics and Antipyretics, Antihistaminic, Tranquillizers, antidepressants, Stimulants, Hallucinogens, Street drugs etc.

3. Legislations relating to medical profession

(a) the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973);
(b) the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986);
(c) the Workmen's compensation Act, 1923 (8 of 1923);
(d) the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948);
(e) the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (34 of 1971);
(f) the Mental Health Act, 1987 (14 of 1987);
(g) the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872);
(h) the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (6 of 2007);
(i) the Personal Injuries Act, 1963 (37 of 1963)
(j) the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940)and the rules made therein;
(k) the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertise ments) Act, 1954 (21 of 1954);
(l) the Transplantation of Human Organs Act, 1994 (42 of 1994);
(m) the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Pre vention of Misuse) Act, 1994 (57 of 1994);
(n) the Homoeopathic Practitioners (Professional Conduct, Eti quette and Code of Ethics) Regulations, 1982;
(o) the Drugs Control Act, 1950 (26 of 1950);
(p) the Medicine and Toiletry Preparations (Excise Duties) Act, 1955 (16 of 1955);
(q) the Indian Penal Code (45 of 1860) and the Criminal Proce dure Code (2 of 1974) {relevant provisions)
(r) the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protec tion of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996);
(s) the Clinical Establishment (Registration and Regulation) Act, 2010 (23 of 2010).

****

क्रमशः

1. होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका

1. होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका की परिभाषा, वर्गीकरण एवं स्त्रोत।
2. होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के कार्यक्षेत्र व सीमाएं।
3. डॉ0 षुष्लर के द्वारा बायाकैमिक चिकित्सा प्रणाली; का इतिहास, धारणाएं तथा सिद्धांत, 12 बायाकेमिक दवाओं (ऊतक औषधि) का अध्ययन ।
4. होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका का विज्ञान और दर्शन ।
5. नोसोडस की अवधारणा– नोसोडस का परिभाषा, नोसोडस के प्रकार व नोसोडस के सामान्य लक्षण।
6. मदर टिंचर की धारणा।
7. संरचना, स्वभाव, प्रवृति अवधारणाए।
8. सारकोड –परिभाषा व सामान्य संकेत ।
9. औषधियों को निम्न मदों के अन्तर्गत पढ़ाया जाना चाहिए, अर्थात :– सामान्य नाम, प्राकृतिक क्रम, आदत, प्रयुक्त अंग, तैयार करना, संघटक, प्रूविंग आँकड़ें (डाटा), कार्य के क्षेत्र, दवा के लक्षणों व विशिष्ट लक्षणों (मानसिक, षारीरिक व्यापक एवं विशिष्ट अंगों की अनुभूतियों सहित रूपात्मकता व सहगामी (कनकमिटेन्ट) सहित) व संघटन सहित औषधियों का तुलनात्मक अध्ययन चिकित्सीय अनुप्रयोग (अनुप्रयुक्त मेटेरिया मेडिका) ।

2 होम्योपैथिक दवाओं का नाम

1. एकोनाइट नैपेलस	2. एलुमिना
3. एथुसा साइनैपियम्	4. एम्ब्रा ग्रिसिया
5. एलियस	6. अमानियम कार्बोनिकम
7. एलोय सोकोट्रिना	8. अमोनियम म्यूरिएटिकम
9. एंटीमोनियम कूडम	10. एनाकार्डियम ओरियंटल
11. एंटीमोनियम टार्टेरिकम	12. अपोसाईनम कैनाबिनम
13. एपिस मेलिफिका	14. आर्सेनिकम आयोडेटम
15. अर्जेटम नाइट्रिकम	16. एसाफोटिडा
17. अर्निका मोंटाना	18. ऑरम मेटालिकम
19. आर्सेनिकम एल्बम	20. एबिस कैनाडेनिस
21. ऐरम् ट्रीफलम	22 एबिस नाईग्रा
23. एसिटिक एसिड	24. एब्रोटेनम
25. एक्टिआ स्पाइकेटा	26. एन्थ्रासिनम
27. ऐगेरिकस मस्कैरियस	28. एकेलिफा इंडिका
29. एग्नस केस्टस्	30. एब्रोमा अगस्टा
31. एस्कुलस फिप्पोकस्टेनस	32 एड्रेनेलिनम
33. एंटीमोनियम आर्सेनिकोसम	34. आर्टेमेसिया वल्गेरिस
35. एविना सटाईवा	36. एस्टेरियास रूबेन्स
37. अर्जेटम मेटालिकम	38. एडोनिस वर्नालिस
39. बैराइटा म्यूरेटिका	40. बोरेक्स
41. बैप्टीसिया टिनक्टोरिया	42. बोविस्टा लायकोपरडोन
43. बेलिस पेरेनिस	44. ब्रोमियम
45. ब्रायोनिया एल्बा	46. ब्युफो राना
47. बैराइटा कार्बोनिकम	48. बैसिलिनम
49. बेलाडोना	50. बेसिलस नंबर 7
51. बेंजोइक एसिड	52. ब्लाटा ओरिएंटलिस
53 बर्बेरिस वल्गारिस	54. बिस्मथ
55. कैल्केरिया कार्बोनिका	56. केनाबिस सटाईवा
57. कैल्केरिया फ्लोरिका	58. कैंथारिस वेसीकेटोरिया
59. कैल्केरिया फास्फोरिका	60. कार्बो वेजिटेबलिस
61. कैलकेरिया सल्फ्यूरिका	62. चेलिडोनियम मेजस
63. कैलेंडुला ऑफिसिनैलिस	64. कोनियम मैक्युलैटम
65. कैमोमिला	66. कोटलस हॉरिडस
67. सिना	68. कोटन टिग्लियम
69. सिनकोना ऑफिसिनैलिस	70. साइक्लेमेन युरोपियम
71. कोलचिकम ऑटमनले	72. कार्बो एनिमेलिस
73. कोलोसिन्थिस	74. कार्बोलिक एसिड
75. कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरम	76. कोडुरेगो
77. कैलेडियम सेग्विनम	78. कोरलियम रूब्रम
79. कैलकेरिया आर्सेनिकोसा	80. कैटेगस ऑक्सीकेंथा
81. कैम्फोरा	82. कौलोफाईलम
83. कैनाबिस इंडिका	84. कोकुलस इंडिकस
85. कैपसिकम्	86. कोकस सैटाईवा
87. सेड्रोन	88. सिकुटा साईरोसा
89. कोलिन्सोनिया कैनाडेंसिस	90. क्लेमाटिस ईरेक्टा
91. क्यूप्रम मेटैलिकम	92. कैलोट्रोपिस गिगेन्टिआ
93. कॉस्टिकम	94. कैरिका पपाया
95. चिनिनम आर्सेनिकोसम	96. कैसिया सोफेरा
97. कोलेस्टेरिनम	98. कार्सिनोसिन
99. कोका ईरोथ्रोजायलोन	100. कार्डुअस मैरिएनस
101. सियोनेन्थन	102. कॉफीया कूडा
103. ड्रोसेरा	104. डायोस्कोरिया विलोसा
105. डल्कामारा	106. डिप्थीरिनम
107. डिसेंट्रि को	108. डिजिटलिस परप्युरिया
109. युफ्रेसिया	110. यूपेटोरियम परफोलिएटम
111. इक्वियुसेटम हाइमेल	112. इरीजिरॉन कैनाडेंसिस
113. फेरम मेटालिकम	114. फेरम फॉस्फोरिकम
115. फ्लोरिकम एसिडम	116. फिकस रेलिजियोसा
117. जेलसेमियम	118. ग्रेफाइटिस
119. गार्टनर	120. ग्लोनोइन
121. हिपर सल्फ	122. हाइड्रैस्टिस कैनाडेंसिस
123. हाइपरिकम परफोरेटम	124. हाइड्रोकोटाइल एसिएटिका
125. हेलेबोरस नाइजर	126. हेलोनियास डायोइका
127. हयोसायमस नाइजर	128. इपिकेक्युनहा
129. इगनेषिया अमारा	130. आयोडम
131. जोनासिया असोका	132. जस्टिसिया अधाटोडा
133. काली फॉस्फोरिकम	134. काली मूरिम्युरेटिकम
135. काली बाइक्रोमिकम	136. काली सल्फ्यूरिकम
137. काली ब्रोमैटम	138. क्रियोजोटम
139. काली कार्बोनिकम	140. काल्मिया लैटाफोलिया
141. लाइकोपोडियम क्लैवाटम	142. लेडम पलस्ट्री
143. लैक कैनिनम	144. लैकेसिस म्यूटा
145. लैक डिफ्लोरेटम	146. लिथियम कार्बोनिका
147. लोबेलिया इनफलेटा	148. लिलियम कार्बोनिकम
149. लायसिन	150. मैग्नेशिया म्यूरिएटिका
151. मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम	152. मैग्नेशिया म्यूरिएटिका
153. मोस्कस	154. मेडोरहिनम
155. म्यूरेक्स परप्युरिया	156. मेजेरियम
157. मम्युरेटिक एसिड	158. मेलिलोटास
159. मेफाइटिस प्युटोरियस	160. मिलिफोलियम
161. मर्क्यूरियस कोरोसिवस	162. मर्क्यूरियस सॉल्यूबिलिस
163. मर्क्यूरियस सायनेटस	164. मर्क्यूरियस सल्फ्यूरिकस
165. मर्क्यूरियस इलसिस	166. मेलानड्रिनम
167. मोरगन प्योर	168. मेनाईयानथिस
169. मोरगन गार्टनर	170. नाजा त्रिपुडियन
171. नेट्रम प्यूरिएटिकम	172. नैट्रम कार्बोनिकम
173. नैट्रम फॉस्फोरिकम	174. नाइट्रिक एसिड
175. नेट्रम सल्फ्यूरिकम	176. नक्स मोस्काटा
177. नक्स वोमिका	178. ओसीमम सैनक्टम
179. ओपियम	180. ओनोस्मोडियम
181. ओकसेलिक एसिड	182. पिकरिक एसिड
183. पल्साटिला	184. प्लेटिनम मेटालिकम
185. पेट्रोलियम	186. पोडोफाईलम
187. फॉस्फोरिक एसिड	188. सोरिनम
189. फास्फोरस	190. सोरिनम
191. फाईटोलाका डिकेंड्रा	192. प्रोटीयस बेसिलस
193. पेसिफ्लोरा ईनकारनाटा	194. फिजियोस्टिग्मा वेनेनोसम
195. प्लंबम मेटैलिकम	196. रियुम पालमेटम
197. रस ग्रेविओलेंस	198. राउवोल्फिया सर्पेंटिना
199. रूटा ग्रेविओलेंस	200. रोडोडेंड्रोन काईसेनथम
201. रेफेनस सैटाइवस	202. रैनुनकुलस बलबोसस
203. रेडियम ब्रोमैटम	204. रेटनहिया पेरूवियाना
205. रूमेक्स क्रिस्पस	206. सीकेल कॉर्नुटम
207. सिलिषिया	208. सेलेनियम
209. स्पोंजिया टोस्टा	210. सीपिया
211. सल्फर	212. स्टेफासेगिरिया
213. सिम्फाइटम ऑफिसिनेल	214. स्ट्रेमोनियम
215. सिफिलिनम	216. सल्फ्युरिक एसिड
217. सैनिकुला एक्वा	218. सेबाल सेरूलेटा

क्रमशः

219. सेमबयुकस नाईग्रा
220. सरसापैरिला ऑफिसिनैलिस
221. स्क्वीला मैरिटिमा
222. स्टैनम मेटालिकम
223. सेंगुडनारिया कैनाडेंसिस
224. स्टिक्टा पल्मोनरिया
225. स्पाइजेलिया
226. साइकोटिक बेसिलस
227. सिजेजियम जंबोलेनम
228. सेबाईना
229. सैबाडिला ऑफिसिनैलिस
230. टेरेबिनथिना
231. थूजा ऑक्सिडेंटलिस
232. थेरेडियोन
233. टेबेकम
234. थलास्पी बर्सा पास्टोरिस
235. टेरेक्सेकम ऑफिसिनेल
236. थायराइडिनम
237. टेरनटुला क्यूबेंसिस
238. ट्रिलियम पेंडुलम
239. अर्टिका यूरेन्स
240. उस्टिलैगो मेडिस
241. वेरेट्रम एल्बम
242. विंका माइनर
243. वैक्सीनम
244. वाइबर्नम ऑपुलस
245. वैरियोलिनम
246. वेलेरियाना ऑफिसिनैलिस
247. वेराट्रम विरिड
248. जिंकम मेटालिकम
249. एक्स–रे

समूह के अध्ययन

1. एसिड समूह
2. कार्बन समूह
3. काली समूह
4. ओफिडिया समूह
5. मर्क्यूरियस समूह
6. स्पाईडर समूह
7. बैराइटा समूह
8. कैलकेरिया समूह
9. मैग्नेशिया समूह
10. नैट्रम समूह
11. कोमपोजिट परिवार
12. रेननकुलस परिवार
13. सोलोनेसी परिवार

2. आर्गेनन ऑफ मेडिसिन तथा होम्योपैथिक दर्शन

(अ) आर्गेनन ऑफ मेडिसिन

1. डॉ. हेनीमेन की जीवनी, होम्यापैथी की खोज एवं उनके योगदान, होम्यापैथी की खोज को मार्गदर्शन करने की परिस्थितियों का संक्षिप्त इतिहास ।
2. होम्यापैथी के अग्रणीय नामतः सी.वी. बोनिंग हासेन , जे. टी. कन्ट, सी. हेरिंग, राजेन्द्र लाल दत्त, महेन्द्र लाल सिरकार, का लघु इतिहास व योगदान ।
3. भारत, यू.एस.ए. तथा युरोपीय देषों में होम्यापैथी का विकास तथा इतिहास।
4. होम्योपैथी के मौलिक सिद्धांत ।
5. आधारभूत संकल्पनाःस्वास्थ्य रोग, आरोग्य : डॉ. हेनीमेन संकल्पना तथा आधुनिक संकल्पना।
6. डॉ. हेनीमेन का आर्गेनन ऑफ मेडिसन, तथा इसके विभिन्न संस्करण और निर्माण।
7. होम्योपैथिक प्रतिनिरोधक।
8. आर्गेनन ऑफ मेडिसिन के पाद टिप्पणी सहित सूत्र 1–294 (आर. ई. डजन तथा डब्ल्यू बोरिक द्वारा अनुवादित 5वाँ व 6ठा संस्करण)
9. प्राचीन आयुर्विज्ञान साम्यास का विकास (पूर्व ऐतिहासिक औषध, ग्रीक औषध, चीनी औषध, हिन्दु औषध एवं पुनर्उत्थान) एवं प्रयोगद्धित, तर्कसंगत एवं महत्वपर्ण ओजस्वी विचारों को खोजना।
10. जीर्ण रोग
    (अ) डॉ. हेनीमेन का जीर्ण रोगों का सिद्धांत
    (ब) जे एच. एलेन का जीर्ण मियाज्म (क्रोनिक मियाज्म) – सोरा एवं सुडो सोरा, साइकोसिस ।

(ब) मनोविज्ञान एवं तर्क –

1. तर्क – अगनात्मक तथा निगमनात्मक तर्क (स्टुअर्ट क्लाज के दर्षन षास्त्र के अध्याय तथा 16 से उद्धत)
2. मनोविज्ञानः
   I. मनोविज्ञान के आधार
   II. व्यवहार तथा बुद्धिमता का अध्ययन
   III. आधारभूत संकल्पना– संवेदना, मनोभाव, प्रेरणा, व्यक्तित्व, उत्कंठा, द्वंद , निराशा, हताशा, भय, मनःकायिक अभिव्यक्तियाँ, स्वप्न ।

(स) होम्योपैथी दर्शन –

1. जे.टी. केन्ट के दर्षन शास्त्र के अध्याय (अध्याय 1 से 37), स्टुअर्ट क्लॉज (अध्याय 1 से 15 एवं 17) तथा एच.ए.राबर्टस (अध्याय 1 से 35) रिचर्ड ह्यजू जे (अध्याय 1 से 10) तथा सी. डनहम (अध्याय 1 से 7)। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन सूत्र 29–294 से सबंधित ।
2. लाक्षणिकी :
   लक्षणिकी के विस्तारित विवरण की समझ हेतु आर्गेनन ऑफ मेडिसिन के संबंधित सूत्रों और होम्योपैथी दर्शन शास्त्र के संबंधित अध्यायों का उद्धरण दिया जाना चाहिए ।
3. रोग कारण :
   रोग के क्रमिक विकास की पूर्ण समझ के लिए आवश्यक है, प्रवृत्ति मलूभूत, उत्तेजक तथा कायम रखने वाले कारणों को ध्यान में रखना ।
4. रोगवृत्त लेना – रोग वृत दर्ज करने के लिए डॉ. हेनीमेन की संकल्पना
5. रोगवृत्त लेने की पद्धति, जो सम्मिलित करती है
   I. लक्षणों का विश्लेषण,
   II. लक्षणों का मूल्यांकन,
   III. मियाजमैटिक निदान,
   IV. लक्षणों की संपूर्णता ।

3. रेपर्टरी

1. रेपर्टरी : परिभाषा, श्रेणीकरण, संभावनायें तथा सीमायें ।
2. विभिन्न रेपर्टरियों (जैसे कि केन्ट रपेर्टरी, बोइनिंग हासेन की थेरेप्युटिक पॉकेट पुस्तक तथा बोगर – बोइनिंग हासेन की चारित्रिक रेपर्टरियां)– का तुलनात्मक अध्ययन। मटेरिया मेडिका हेतु संक्षिप्त कुजी (सिनोप्टिक जी) ।
   I. इतिहास
   II. दार्शनिक पृष्ठभूमि
   III. संरचना
   IV. रेपर्टरी की अवधारणा
   V. अनुकूलनशीलता
   VI. क्षेत्र
   VII. सीमा (एं)
3. विभिन्न लेखकों द्वारा औषधियों का वर्गीकरण
4. रेपर्टरीकरण की प्रवीधी व तकनीके । रेपर्टरीकरण के चरण ।
5. रेपर्टरी (रुब्रिक) की भाषा एवं शब्दावली व दूसरी रेपर्टरियों एवं मटेरिया मेडिका में प्रति संदर्भ ।
6. विभिन्न रपेर्टरियों के प्रयोग से लक्षणों का रूबिक्स में रूपांतरण तथा रेपर्टराईजेशन ।
7. रेपर्टरी–इसके ऑगेनन ऑफ मेडिसन व मटेरिया मेडिका से संबंध ।
8. रोगवृतः लेना
9. रोगवृत्त प्रकिया :
   I. लक्षणों का विश्लेषण व मूल्यांकन
   II. मियाजमेटिक आंकलन
   III. लक्षणों की समग्रता या रोगी की वैचारिक छवि
   IV. रेपर्टोरियल समग्रता
   V. रूब्रिकों का चयन
   VI. रेपर्टोरियल तकनीक व परिणाम
   VII. रेपर्टोरियल विश्लेषण
10. कार्ड रेपर्टरियाँ तथा अन्य यात्रिक सहायता प्राप्त रपेर्टरियाँ – इतिहास, प्रकार, प्रयोग
11. कानेकोरडेन्स रेपर्टरियॉ (जेटरी तथा नॅर)
12. नैदानिक रेपर्टरियॉ (विलियम बोरिक इत्यादि)
13. आधुनिक विषयगत रेपर्टरियॉ का परिचय (सिथेटिक, सिनथेसिस, तथा कम्पलीट रेपर्टरी तथा मर्फी की रेपर्टरी) ।
14. क्षेत्रीय रेपर्टरी
15. रेपर्टाइजेषन में कम्प्युटरों की भूमिका तथा विभिन्न साटवेयर ।

4. होम्योपैथिक भेषजी

I. सामान्य विचार तथा अभिविन्यासः

1. भेषजी का इतिहास
2. अधिकारिक होम्योपैथिक भेषज संग्रह (जर्मनी, ब्रिटेन , यू.एस.ए., भारत)
3. होम्योपैथिक औषधियों के वैज्ञानिकनाम, प्रचलित नाम, पर्यायवाची ।
4. होम्योपैथिक भेषजी में परिभाषायें एवं घटक।
5. वजन तथा माप ।
6. होम्योपैथिक औषधियों की नाम पद्धति उनकी विसंगतियों सहित ।

II. कच्चा माल – दवा तथा माध्यम (व्हीकलस):

1. दवाओं के स्त्रोत (वर्गीकरण पद्धति, उपयोगिता के संदर्भ के साथ) ।
2. औषध पदार्थों का संग्रहण ।
3. माध्यम (व्हीकलस) ।
4. होम्योपैथिक औषध बनाने संबंधित यन्त्र तथा उपकरण।

III. होम्योपैथी भैषजिकीः

1. मदर टिंचर तथा इसको बनाना – प्राचीन तथा नव प्रविधि ।
2. होम्योपैथिक भेषज में प्रयुक्त विभिन्न मापक ।
3. दवा शक्तियुक्तता या पोटेन्टाइजेशन ।
4. बाह्य प्रयोग
5. सिग्नेचर का सिद्वान्त ।
6. औषध की मात्रा निर्धारण
7. नुस्खा प्रलेखन (संक्षिप्तीकरण सहित) ।
8. कटू भेषज (प्लेस्बो) की अवधारणा ।
9. फार्माकोनोमी – होम्योपैथी दवा देने के रास्ते ।

IV. भेषज क्रिया विज्ञान :

1. होम्योपैथिक भेषज क्रिया विज्ञान ।
2. औषध सत्यापर्ण (प्रूविंग) तथा मनुष्यों एवं पशुओं पर औषध सत्यापर्ण (प्रूविंग) की योग्यताऐं तथा अयोग्यताऐं

V. गुणवत्ता नियंत्रण :

1. होम्यापैथिक औषध, उत्पादों का मानकीकरण ।

क्रमशः

2. औद्योगिक भेषजी ।
3. होम्यापैथिक भेषज प्रयोगशाला।

VI. भेषज संबंधी विधान :

1. औषध तथा प्रसाधन अधिनियम – 1940 (1940को 23वॉ) (होम्योपैथी के संबंध में)
2. औषध एवं प्रसाधन नियम, 1945 (होम्योपैथी से सबंधित)
3. विष विज्ञान अधिनियम 1919 (1919 का 12वॉ)
4. नशीली दवाओं एवं मादक पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61वां)
5. औषध तथ जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 (1954 का 21वां)
6. औषधि और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 (1955 का 16वां)

5. आयुर्विज्ञान साभ्यास (प्रैक्टिस ऑफ मेडिसन) सह होम्योपैथिक औषध तंत्र

(अ) व्यक्तिकरण के उपयुक्त अध्ययन के लिए निम्न परिपेक्ष की आवश्यकता होती है ताकि व्यक्ति के प्रमुख पहलूओं कों, रोग स्थिति के क्रमशः सामान्य चित्रण की अपेक्षा अधिक स्पष्ट हो सके, अर्थातः–

1 रोग की परिस्थितियों का शरीर रचना, शरीर क्रिया तथा जैव रसायन विज्ञान तथा विकृति विज्ञान के साथ सह संबंध ।

2 रोगों के कारणों, अभिव्यक्तियों, निदान (विभेदक निदान सहित), पूर्वानुमान तथा प्रबंधन ।

3 रोग परिस्थितियों से निपटने के लिए आर्गेनन ऑफ मेडिसिन तथा होम्योपैथिक दर्शन के ज्ञान का प्रयोग ।

4 परियुक्त विषयों का परिज्ञान ।

(ब) सैद्धांतिकः

1. क्रमशः प्रणाली के संदर्भ में अनुप्रयुक्त शरीर रचना विज्ञान तथा अनुप्रयुक्त शरीर क्रिया विज्ञानः–
2. श्वसनी रोग ।
3. पाचन तंत्र तथा पेरीटोनियम (पर्युदर्या) के रोग ।
4. यकृत, पित्ताष्य तथा अग्नाश्य संबंधित रोग ।
5. आनुवांशिक कारक (चिरकालिक मियाज्म की संकल्पना से रोगों की सह–संबंधिता)।
6. रोगों में प्रतिरक्षात्मक कारक, संवदेनशीलता (एच.आई.वी., हैपेटाइटिस बी सहित) की धारणा सहित ।
7. रासायनिक तथा भौतिकी कारक तथा वातावर्णिक तथा पर्यावर्णीय कारकों से उत्पन्न रोग ।
8. विभिन्न प्रणालियों में नैदानिक जाँच का ज्ञान ।
9. जल तथा लवणिय संतुलन के रोग ।
10. पोषण तथा उपापचयी रोग
11. रक्तोत्पादक प्रणाली के रोग
12. अन्तःस्त्रावी रोग
13. संक्रामक रोग
14. ह्रदय वाहिका तंत्र के रोग
15. मूत्रप्रजनन मार्ग के रोग
16. केन्द्रीय तन्त्रिका तंत्र तथा परिसरीय तंत्रिका तंत्र के रोग
17. मानसिक रोग (मनोविकार रोग)
18. गतिशीलता तंत्र के रोग (संयोजक कोशिका, हडिडयों तथा जोडों के विकार)
19. चर्म रोग तथा यौन संचारित रोग
20. उष्ण कटिबंधीय रोग
21. शिशु रोग
22. वृद्धावस्था रोग
23. विशेष रोगो से संबंधित विभिन्न अगों तथा प्रणालियों के संदर्भ में अनुप्रयुक्त शरीर रचना विज्ञान तथा शरीर क्रिया विज्ञान
24. विभिन्न प्रणालियों की नैदानिक जॉचों का ज्ञान।

(स) विभिन्न रोगों की स्थितियों के सामान्य प्रबंधन एंव पूर्वानुमान के तर्कसंगत मुल्याकंन को केन्द्रित करना होगा ।

(द) मानव के स्वास्थ्य, स्वभाव, प्रवृत्ति, रोग, पूर्ववृत्ति तथा प्रेरित करने वाले कारक, बनाये रखने वाले कारकों के अध्ययन पर अधिक बल दिया जायेगा ।

(इ) डॉ. हेनिमेन का जीर्ण मियाजम का सिद्धान्त, जीर्ण रोगों की विकासवादी समझ हमें देता है: जीर्ण रोगों के तीव्र अभिव्यक्तियाँ, सोरा, साइकोसिस, सिफलिस तथा प्राकृतिक रोगों का विकास, जीर्ण रोगों के सिद्धान्त की दृष्टि से व्यापक रूप में समझाया जाएगा

(फ) सभी विषयों के सामान्य प्रबंधन तथा होम्योपैथिक औषध तन्त्र।

6. सामुदायिक औषध सह राश्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम

चिकित्सक को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्याओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए जिससे कि वह न केवल रोगहरण वरन परिवार कल्याण सहित निरोधक और सामाजिक आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में भी, कारगर भूमिका निभाने का दायित्व सभांल सके और सकारात्मक स्वास्थ्य के प्रोन्नयन के लिए उपायों की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए।

सैद्धान्तिकः

1. मनुष्य तथा औषधि
2. होम्योपैथी और परंपरागत चिकित्सा में स्वास्थ्य और रोग की अवधारणा
3. पोषण और स्वास्थ्य
   (अ) भोजन और पोषण (ब) स्वास्थ्य और रोग के संबंध में भोजन
   (स) संतुलित आहार (द) पोषाण तत्वों की कमी, और पोशण सर्वेक्षण
   (य) खाद्य प्रसंस्करण (र) दूध का पाश्चयरिकृत
   (ल) भोजन में मिलावट (व) भोजन विषाक्ता
4. पर्यावरण और स्वास्थ्य
   (अ) वायु, प्रकाश, एवं धूप, विकिरण (ब) जलवायु का प्रभाव
   (स) सुविधा क्षेत्र (द) व्यक्तिगत स्वच्छता
   (य) शारीरिक व्यायाम (र) मेलों और त्यौहारों में साफ सफाई
   (ल) कीटाणुशोधन और निर्जीवाणुकरण
   (व) वायुमण्डलीय प्रदषूण और वायु की शुद्धि
   (ष) वायु मंडल जनित रोग
5. जल
   (अ) जल वितरण; प्रयोग; अशुद्धियाँ व शुद्धी
   (ब) पेयजल के मानक
   (स) जलजनित रोग (द) मलमूत्र निष्पादन
   (य) मृत का निष्पादन (र) कचरे का निष्पादन
   (ल) चिकित्सा कीटविज्ञान–कीटनाशक, कीटाणुशोधन, रोग के सदर्भ में कीटाणु, कीटाणु नियंत्रण
6. व्यावसायिक स्वास्थ्य
7. बाल रोग और वृद्धावस्था में निवारक औषध
8. जानपदिक रोग विज्ञान
   (अ) जानपदिक रोग विज्ञान के सिद्धांत एवं विधियां
   (ब) संक्रामक रोगों का जानपदिक रोग विज्ञान
   – संचारी रोगों का निवारण तथा नियंत्रण के सामान्य सिद्धांत
   (स) संचारी रोगः उनका विवरण, विस्तारण के तरीकें तथा रोकथाम की प्रविधि
   (द) प्रोटोजोआ और कृमी संक्रमण –प्रोटोजोआ व कृमिओं का जीवन चक्र, उनसे बचाव
   (य) गैर संचारी रोगो का जनपदिक रोग विज्ञान–सामान्य सिद्धांत तथा गैर संचारी रोगों का नियंत्रण
   (र) बीमारियों की छानबीन ।
9. जैविक आंकड़ें:
   (अ) औषध में जैविक आंकड़ों की आवश्यकता
   (ब) प्राथमिक आंकड़ो की प्रविधियाँ
   (स) आकार गणना का नमनूा
   (द) नमूनें लने की प्रविधियाँ
   (इ) सार्थकता की जॉच
   (फ) आंकडों को प्रस्तुतिकरण
   (ग) महत्वपर्ण आंकड़ें
10. जनसाख्यिकी और परिवार नियोजन; जनसंख्या नियंत्रण; गर्भनिरोधक साभ्यास; राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम।
11. स्वास्थ्य षिक्षा तथा स्वास्थ्य संचार।
12. सामुदायिक स्वास्थ्य की देखभाल।
13. अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य।
14. मानसिक स्वास्थ्य।
15. मातृ व शिशु स्वास्थ्य।
16. विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं।
17. भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम राष्ट्रीय बाल चिकित्सा कार्यक्रम सहित
18. अस्पताल कचरा प्रबंधन ।
19. आपदा प्रबंधन ।

7. शल्य क्रिया सह कान, नाक, गला, ऑख एवं दंत चिकित्सा विज्ञान सह होम्योपैथिक तंत्र

I. (अ) होम्योपैथी विज्ञान होने के नाते चिकित्सक से अपेक्षा करती है कि वह रोगी को रोग से मुक्त कर, स्वस्थ करने के लिए उचित निर्णय ले ।

(आ) होम्योपैथिक चिकित्सक को शल्यक्रियात्मक बाधाओं के ज्ञान की इतनी जानकारी ग्रहण करनी चाहिए जिससे वह योग्य हो –

(1) सामान्य शल्य चिकित्सा रोगों के निदान

(2) जहां संभव हो होम्यापैथिक चिकित्सा उपचार

II. उपर्युक्त संकल्पना की स्पष्टता के लिए एवं उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शल्य–चिकित्सकों तथा होम्यापैथिक चिकित्सकों के बीच एक प्रभावशाली समन्वयता बनाने की आवश्यकता है जिससे रोगी की समग्र देखभाल संभव हो सके, यह चिकित्सक को होम्योपैथी से इलाज व प्रबंधन के लिए रोगी के व्यक्तिकरण करने में

क्रमशः

भी सहायक होगा

सैद्धान्तिकः

(क) सामान्य शल्य चिकित्साः–

शल्य चिकित्सा और बुनियादी शल्य चिकित्सा के सिद्धान्तों का परिचय, द्रव्य, खनिज तथा अम्ल–लवण संतुलन, रक्त–स्त्राव, रक्त–स्तम्भन तथा रक्त आधान, फोड़ा (बायल), फोड़ा (एबसेस), रक्तमणि (कारबन्कल) सेल्युलाइटिस, विसर्प तथा विद्रधि, तीव्र और जीर्ण संक्रमण, ट्यूमर, छाला, शिरानाल, नासूर ,अनके प्रकार के घावः सिर पर चोट का प्रारभिक प्रबंधन, घाव, उत्तक मरम्मत, निशान, घाव संक्रमण ,विशेष संक्रमण (क्षय रोग, उपदंश, एक्वायर्ड इम्यनूो सिड्रोम ,किरण रोग, कुष्ठ), जलना, सदमा, पोषण, आपरेशन पूर्व और पश्चात् की देखभाल

(ख) प्रणालीगत शल्य कियाः–

रक्त वाहिकाओं के रोग, लहसिकाएं तथा परिधाय तंत्रिकाएं, ग्रंथिरोग, हाथ–पैर के रोग,छाती और पेट के रोग,पाचन तंत्र के रोग,यकृत, तिल्ली, पित्ताशय और पित्त नलिका के रोग, उदर भित्ति, नाभी, आंत उतरने के रोग, हृदय और हदृवयकोष के रोग, मूत्रजननांगी प्रणाली के रोग, हड्डियों, खोपडी , रीढ, के रोग व अस्थीभंग तथा स्थान भ्रष्टथा (डिसलोकेशन), जोडों के रोग, मांसपेशियां, नस, प्रावरणी के रोग

(ग) कानः

कान की अनुप्रयुक्त शरीर रचना विज्ञान, शरीर किया विज्ञान, कान का परीक्षण, बाहय, मध्य, व आंतरिक कान के रोग

(घ) नाकः

नाक तथा परानासा शिरानाल की अनुप्रयुक्त शरीर रचना तथा शरीर किया विज्ञान, नाक तथा परानासा शिरानाल की जांच, नाक तथा परानासा शिरानाल के रोग

(ड) गला

ग्रसनी, कंठ, कंठश्वसन नलीकिय जाल, ग्रासनली का अनुप्रयुक्त शरीर रचना व किया विज्ञान, ग्रसनी, कंठ, कंठश्वसन नलीकिय जाल, ग्रासनली का परीक्षण, गले के रोग (बाह्य व आन्तिरक), ग्रासनली के रोग

(च) नेत्र विज्ञान

नेत्र की अनुप्रयुक्त शरीर रचना एवं किया विज्ञान, नेत्र का परीक्षण पलकों, भौहों तथा अश्रु निकासी व्यवस्था के रोग नेत्रों के रोग चोटों से संबंधित समस्याओं सहित

(छ) दंत चिकित्सा

दातों व मसूड़ों की अनुप्रयुक्त शारीरिक रचना व क्रिया विज्ञान, दाँत निकलने के विभिन्न चरण, मुख गुहा की परीक्षा, मसूड़ों के रोग, दाँतों के रोग, दाँत निकलने की समस्याएं

उपयुक्त विषयों के सामान्य प्रबंधन, शल्य क्रिया प्रबंधन, तथा होम्योपैथिक औषध शास्त्र सम्मिलित किया जायेगा।

8. स्त्री रोग एंव प्रसूति सह होम्योपैथिक औषध तंत्र

होम्योपैथी इस विषय के लिए वही दृष्टिकोण रखती है जो कि शल्य क्रिया तथा औषध अभ्यास के लिए है, किन्तु स्त्री रोग और प्रसूती रोगियों के लिए एक होम्योपैथिक चिकित्सक को स्थानीय परिस्थितियों तथा व्यक्तिक रोगियों के निदान के लिए विशिष्ट नैदानिक प्रविधियों में प्रशिक्षण अवश्य दिया जाना चाहिए, शल्यक्रिया हेतु दखल या तो जीवन रक्षा हेतु होना चाहिए अथवा किसी यांत्रिक बाधा को हटाने के लिए, यदि आवश्यक हो तो किया जाना चाहिए तथा उनका प्रबंधन, होम्योपैथिक औषध– प्रयोग तथा अन्य सहायक उपचार प्रविधियों द्वारा किया जाना चाहिए।

स्त्रीरोगः

1. स्त्री प्रजनन प्रणालियों की अनुप्रयुक्त शरीर रचना विज्ञान की समीक्षा, विकास एवं कुरचनाएं ।
2. स्त्री प्रजनन प्रणालियों की अनुप्रयुक्त शरीर क्रिया विज्ञान की समीक्षा, यौवन, ऋतुस्त्राव तथा रजोनिवृति ।
3. स्त्रीरोग विज्ञान संबंधी परीक्षण एवं निदान ।
4. विकासशील असमानतायें
5. गर्भाशय विस्थापन
6. लिंग तथा उभयलिंगता
7. स्त्री जननांग में संक्रमण व छाले
8. जननांग मार्ग में चोटें
9. मासिक धर्म के विकार
10. अत्यार्तव तथा गर्भाषय रक्तस्त्राव दुष्क्रिया।
11. स्त्री जननांग मार्ग के विकार
12. स्तनों के रोग
13. यौन संचारित रोग
14. अंतर्गभाषय–अस्थानता ग्रथिपेश्यर्बुदता
15. बांझपन और बंध्यता
16. अदुर्दम विकास
17. दुर्दम
18. कीमाथैरेपी से उत्पन्न जटिलताएं

स्त्रीरोग में उक्त सूचीकृत विषयों पर प्रबंधन तथा होम्योपैथिक औषध–तंत्र

(ब) प्रसूति–विज्ञानः

1. प्रजनन की प्रमुख बाते
2. अन्तःगर्भाशय गर्भावस्था का विकास – नाल तथा गर्भ
3. गर्भावस्था का निदान – परीक्षण व जॉचें
4. प्रसव पूर्व देखभाल
5. गर्भावस्था में वमन
6. समय पूर्व प्रसव, प्रसूत काल
7. सामान्य प्रसव – तथा सूतिकावस्था
8. प्रसव प्रेरण
9. प्रसव के बाद जच्चा की देखभाल
10. नवजात की देखभाल
11. उच्च जोखिम गर्भावस्थाः असामान्य स्थितियाँ तथा असामान्य प्रस्तुतियाँ, जुडवा, नाल तथा अंगों का भ्रंश, की गर्भाशय की क्रिया में असामान्यताएं, संकुचित श्रोणी, मुलायम भाग की असामान्य हालत, बाधित प्रसव, प्रसव की तीसरी अवस्था में कठिनाईयाँ जननमार्ग में चोटें गर्भ में विसंगतियाँ ।
12. असामान्य गर्भावस्थाएं– गर्भपात, मोलर गर्भावस्था, नाल व झिल्लियों के रोग , गर्भावस्था की विषरत्तता, प्रसव पूर्व रक्तस्त्राव, बहु–गर्भ, दीर्घ सगर्भता, मन्द सगर्भता, अन्तः गर्भाशय वृद्वि मन्दता, आर.एच.नेगेटिव स्त्रियों में गर्भावस्था, अन्तःगर्भाशय भ्रूण की मृत्यु, मृत शिशु जन्म ।
13. गर्भावस्था से जुड़े प्रणालीगत रोग व सामान्य विसंगतियाँ ।
14. गर्भधारण पूर्व निदान तकनीक (विनियम तथा दुरूप्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम, 1994
15. सामान्य प्रसूति ऑपरेशन–चिकित्सीय गर्भपात, अपराधिक गर्भपात, सीजेरियन सेक्षन, भगछेदन
16. आपातकालीन प्रसूति देखभाल
17. जनसंख्या गतिशीलता और गर्भधारण का नियन्त्रण
18. शिशु देखभालः– नवजात स्वास्थ्य, स्तनपान, कृत्रिम भोजन, समय पूर्व जन्मे बच्चे की देखभाल, श्वासावारोध, जन्म चोटें, नवजात की सामान्य विसंगतियाँ ।
19. प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य की देखभाल
    (अ) सुरक्षित मातृत्व तथा शिशु जीविता
    (ब) जोखिम की धारणा–मातृ–षिषु स्वास्थ्य देखभाल
    (स) मातृ मृत्युदर तथा रूग्णता दर
    (द) प्रसव पूर्व मृत्यु दर तथा रुग्णता दर
    (इ) भ्रुण तथा नवजात के रोग ।
20. प्रसूति में न्यायिक औषध के पहलु

प्रसूति की उपरोक्त सूचीगत नैदानिक स्थितियों में होम्योपैथिक प्रबंधन तथा औषध तंत्र

9. विकृति विज्ञान एवं सूक्ष्म जीव विज्ञान

विकृति विज्ञान एवं सूक्ष्म जीव विज्ञान का शिक्षण मियाज्मस की संकल्पना है जिसको डॉ0 हेनिमेन ने प्रारंभ किया तथा उसके पश्चात जे.टी. केन्ट, एच.ए.रार्बट, जे.एच. एलन तथा अन्य विद्धजनों ने इसका विकास किया। कोक्स की अभिधारणा के संदर्भ में प्रतिरक्षा, संवेदनशीलता की संकल्पना तथा तत्पश्चात् रोग के विकास व उपचार की होम्योपैथिक संकल्पना के साथ पढ़ाया जाएगा ।

(अ) विकृति विज्ञान एवं होम्योपैथिक विज्ञान का संबंध

(1) विकृति विज्ञान एवं होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के संबंध ।
(2) मियाज्म तथा विकृति विज्ञान का सह–संबंध ।
(3) प्रत्येक मियाज्म का चरित्रजगत प्रकटीकरण ।
(4) विकृति विज्ञान के अनुसार लक्षणों तथा रोगों का वर्गीकरण ।

(ब) सामान्य विकृति विज्ञान

1.कोशकीय अभिघात तथा कोशकीय अनुकलून 2.सजून तथा मरम्मत (उपचार) 3. प्रतिरक्षा 4. अपविकास 5. घनास्त्रता और अन्तशल्यता 6. शोफ 7. चयापचय की गडबड़ी 8. हाइपरपलेसिया तथा अतिवृद्धि 9. अविकसन 10. इतर विकसन 11. स्थानिक अरक्तता 12. रक्तश्राव 13. सदमा 14. अपुष्टि 15. पुनरुत्पादन 16. अतिरक्तता 17. संक्रमण 18. ज्वर 19. ऊतकक्षय 20. गेंग्रीन 21. रोगगलन 22. ऐमाइलायडोसिस 23. हाइपरलिपिडेमिया तथा लिपिडोसिस 24. रजंकता की गडबड़ी 25. लस जालिका 26. कैल्सीकरण 27. रेडिएशन के प्रभाव 28. अस्पतालों का संक्रमण

(स) वर्गीकृत विकृति विज्ञान

1. कुपोषण तथा न्यूनता संबंधी रोग, 2. ह्रदय वाहिका संबंधी रोग 3. रक्त वाहिकाओं एवं लहसिकाओं संबंधी रोग, 4. वृक्क एवं निचले मूत्र नलिका संबंधी रोग 5. पुरुष जननांग एवं प्रोस्टेट संबंधी रोग 6. स्त्री जननांग एवं स्तन संबंधी रोग 7.ऑख,कान,नाक तथा गला संबंधी रोग 8. श्वसन तंत्र संबंधी रोग 9. मुख, गुहा एवं लार ग्रथी संबंधी रोग

क्रमशः

10. जी0आई0(जठरॉत) संबंधी रोग, 11. यकृत, पित्ताश्य एवं पित्त नलिका सबंधी रोग 12. अग्नाशय (मधुमेह संबंधी रोग सहित) 13. रक्तोत्पति, अस्थि मज्जा एवं रक्त संबंधी रोग 14. ग्रंथि – थाइमस, पिच्युटरी, थाइराइड एवं पेरा॥ थाईराइड, अधिवृक्क, कर्णपर्वू (पैरोटिड) संबंधी रोग 15.त्वचा एवं साट उत्तक सबंधी रोग 16. पेषी कंकाली तंत्र सबंधी रोग 17. तत्रिका तंत्र संबंधी रोग, 18. कुष्ट रोग

(द) सूक्ष्म जीव विज्ञान

(अ) सामान्य विषयः

1. प्रस्तावना 2. चिकित्सीय सूक्ष्म विज्ञान का इतिहास व कार्यक्षेत्र
3. सामान्य बैक्टीरीया लोरा 4. सूक्ष्म जीवों द्वारा रोग जनकता
5. सूक्ष्म जीव विज्ञान निदान

(ब) प्रतिरक्षा विज्ञानः

1. प्रतिरक्षा तंत्र का विकास 2. जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र
3. मेजबान की गैर विषिष्ट रक्षा 4. उपार्जित प्रतिरक्षा
5. प्रतिरक्षा तंत्र की कोषिकाएं :–टी कोषिकाएं तथा कोषिका माध्यम से प्रतिरक्षा; बी कोषिकाए तथा त्रिदोश संबंधित प्रतिरक्षा 6. पूरक तंत्र 7. एन्टीजन; एंटीबॉडी (रोगों से लडने की क्षमता वाले रक्त में पदार्थ), एंटीजन–एंडीबोडी (एनाफाइलेक्टिक तथा एटोपिक) क्रियाएँ, औषध एलर्जी 8. अति–संवेदनषीलता 9. प्रतिरक्षाहीनता 10. स्वतः प्रतिरक्षा (ऑटो–इमयुनिटि) 11. प्रतिरोपण 12. रक्त समूह एन्टीजन 13. प्रतिरक्षा–विकृति विज्ञान का नैदानिक पहलू

(द) जीवाणु विज्ञानः

1. जीवाणु की संरचना, विकास तथा चयापचय, अनुवंाशिकी,जीवाणुभोजी पहचान तथा सवंर्धन 2. ग्राम सकारात्मक ऐरोबिक जीवाणु 3. ग्राम सकारात्मक एनारोबिक जीवाणु 4. ग्राम नकारात्मक ऐरोबिक जीवाणु 5 ग्राम नकारात्मक ऐनारोबिक जीवाणु 6. अन्य जीवाणु जैसे कोलेरी विबरियो, स्पाईरोकिटस, लैप्टोस्पाइरी, माइकोप्लाज्मा, कलेमाइडी, रिकेटेसी, येरसिनिआ, एवं पास्चरेला।

(इ) कवक तथा परजीवीः

1. कवक 2. प्रोटोजोओ 3. कृमि

(फ) विषाणु विज्ञान–

(1) प्रस्तावनाः (2) विषाणुओं की प्रकृति तथा वर्गीकरण
(3) विषाणुओं की आकारिकी तथा प्रतिकृति, (4) डी0एन0ए0 विषाणु
(5) आर.एन.ए. वायरसः (6)नैदानिक सूक्ष्मजीवी विज्ञानः
(7) सूक्ष्मजीवी विज्ञान में नैदानिक प्रक्रियाएः
(8) विसंक्रमण एवं निर्जीवाणुकरण

(ज) ऊतक विज्ञानः

रोगों की विकृति वैज्ञानिक जॉचों की व्याख्या, सहसबंध तथा होम्योपैथिक चिकित्सा द्वारा रोगी के प्रबंधन में इनकी उपयोगिता ।

10. न्यायिक औषध एवं विष विज्ञान

वर्तमान में चिकित्सा साभ्यास में बढते हुए उपभोक्तावाद को दृष्टिगत रखते हुए, चाहे वह निजी साभ्यास करता हो या सरकारी नौकरी में हो, प्रत्येक पंजीकृत चिकित्सक के लिए विधि औषध परीक्षा एक विधिक कर्तव्य है इसीलिए न्यायिक औषध एवं विषविज्ञान की शिक्षा छात्रों के लिए बहुत जरूरी है ।

छात्र चिकित्सा साभ्यास, चिकित्सीय असावधानी तथा चिकित्सा संबंधित नैतिकता के मूल्यों के संदर्भ में भी ज्ञान प्राप्त करेंगें तथा वे सामान्य विशाक्ताओं में उनकी जीर्ण व तीव्र स्तरों के आधार पर पहचान, निदान तथा उपचार करने में सक्षम होगा तथा उनके विधि औषध के आधार पर निष्पादन कर पाएगा ।

सैद्धान्तिकः

(अ) न्यायिक औषध

1. प्रस्तावना

न्यायिक औषध की परिभाषा, भारत में न्यायिक औषध का इतिहास, चिकित्सा आचार और शिष्टाचार, पंजीकृत चिकित्सक का विधिक औषध मामलों में कर्तव्य ।

2. न्यायिक प्रकियाः

अन्वेशण, भारत में न्यायालय, न्यायिक प्रक्रिया, न्यायालयों में चिकित्सीय साक्ष्य, मृत्यु पूर्व घोणणा, मरते समय बयान, चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित तथा न्यायिक औषध प्रतिवेदन ।

3. व्यक्तिगत पहचान :

जीवित एवं मृत की आयु तथा लिंग, प्रजाती व धर्म का निर्धारण, अंगुली चिन्ह अध्ययन, अंगुली डीएनए का मुद्रण, पैरों के निशान, हड्डीयों, दाग, दाँतों, गोदने के निशान, हस्तिलिखावट, मानवमिति ज्ञान की औषध न्यायिक महत्वत्ता, जैविक दागों तथा बालों का परीक्षण ।

4. मृत्यु एंव इसका विधि औषध महत्वः

मृत्यु एवं उसके प्रकार, उनका विधि औषध महत्व, मृत्यु के लक्षण, श्वास अवरोध मृत्यु (यांत्रिक श्वास अवरोध तथा डूबने से),मुखमरी, ठंड और गर्मी इत्यादी से मौतें।

5. चोट व इसके विधि औषध महत्वः

यांत्रिकी, उष्मीय, आग्नेयास्त्र, क्षेत्रीय, परिवहन तथा यातायात संबंधित चोटें; रेडियेशन से, करंट लगना एवं बिजली गिरना ।

6. न्यायिक मनोवृतः

परिभाषाः विभ्रम, चितविभ्रम, माया, मतिभ्रम; प्रोत्तेजना व उन्माद; पागलपन का वर्गीकरण, पागलपन का विकास, निदान, पागलखाने में दाखिल करना ।

7. पोस्ट मॉर्टम जाँच (शव परीक्षण):

8. नपुंसकता व बांझपनः

9. कौमार्य, कौमार्यहरण, गर्भावस्था व प्रसव ।

10. गर्भपात व शिशु हत्याः

11. यौन अपराध :

(ब) विष विज्ञानः

1. सामान्य विष विज्ञान

(अ) न्यायिक औषध विज्ञान व विष (ब) जीवित व मृत में विषाक्तता का निदान
(स) विषक्तता प्रबंधन के सामान्य सिद्धांत (द) विष के विधि औषध पहलु
(य) विषहर एवं प्रकार

2. नैदानिक विष विज्ञान

विषों के प्रकार :
(अ) संक्षारक विष
(ब) उत्तेजक विश
(स) श्वास अवरोधक विष
(द) तंत्रिका विष
(इ) हृदय विष
(फ) विविध विष – दर्दनाशक व ज्वरहारक, एन्टीहिस्टामिनिकस, ट्रेनकुइलाईजर्स, अवसादरोधी, उत्तेजक, विभ्रमकारी, सडक छाप औषध आदि)

3. आयुर्विज्ञानी व्यवसाय से सबंधित विधान :

(क) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59वा) ;
(ख) उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 (1986 का 68वा);
(ग) कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (1923 का 8वा);
(घ) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34वा);
(ङ) चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम, 1971 (1971 का 34वा) ;
(च) मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14वा) ;
(छ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1वा);
(ज) बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (2007 का 6वा);
(झ) व्यक्तिगत दुर्घटना अधिनियम, 1963 (1963 का 37वा) ;
(ञ) औषध और प्रसाधन अधिनियम, 1940 (1940 का 23वां तथा उसके अधीन बने नियम;
(ट) औषध और जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954(1954 का 21वा) ;
(ठ) मानव अंगो प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (1994 का 42वा) ;
(ड) गर्भधारण–पूर्व और प्रसवपूर्व निदान–तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (1994 का 57वा);
(ढ) होम्योपैथी चिकित्सा व्यवसायी (वृत्तिक आचरण, षिष्टाचार और नैतिकता सहिता) विनियम, 1982);
(ण) औषध नियंत्रण अधिनियम, 1950 (1950 का 26वां);
(त) चिकित्सा और प्रसाधन निर्मितियॉ (उत्पाद षुल्क) अधिनियम, 1955 (1955 का 16वां) ;
(थ) भारतीय दण्ड संहिता, (1860 का 45वां) तथा आपराधिक प्रकिया संहिता (1974 का 2रा) (संबंधित प्रावधान)
(द) विक्लांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार और पूर्ण भागीदारी संरक्षण) अधिनियम, 1995 (1996 का 1ला)
(ध) नैदानिक स्थापन (पंजीकरण व विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 23वां)

****

क्रमशः

परिशिष्ट–तीन,
"ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी"

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैं:–

(कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तो को अच्छी तरह पढ़ लें)

ऑनलाइन आवेदन हेतु सक्रिय लिंक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर निर्धारित तिथियों में उपलब्ध रहेंगे।

(1). ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थी को सर्वप्रथम एक Candidate's Registration पेज प्राप्त होगा। उक्त पेज में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मूल निवास, वर्ग, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल आई.डी. इत्यादि की प्रविष्टि करने पर, यदि अभ्यर्थी आयु सीमा की शर्तों को पूर्ण करता हो, तो उसे प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर व ई–मेल आई.डी. पर ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड सुरक्षित रखें। चयन के प्रत्येक स्तर पर रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड के प्रयोग से ही जानकारी प्राप्त करने अथवा प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना मोबाईल नम्बर व ई–मेल आई.डी. न बदलें तथा उसे एक्टिव रखें। मोबाईल व/अथवा सिम खो जाने या खराब हो जाने की स्थिति में तत्काल मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनी से संपर्क कर Candidate's Registration हेतु प्रयुक्त किए गए मोबाईल नम्बर को चालू करवाएं। आयोग द्वारा अन्य आवश्यक सूचनाएं उक्त मोबाईल नंबर व ई–मेल आई.डी. पर दी जाएंगी।

(2). अभ्यर्थी अपने रजिस्टर्ड मोबाईल व ई–मेल आई.डी. पर प्राप्त रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को समस्त आवश्यक जानकारियां दर्ज कर अपना फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। Submit बटन के माध्यम से पूरी तरह भरे गए ऑनलाइन आवेदन को जमा करने पर अभ्यर्थी को शुल्क भुगतान की प्रक्रिया हेतु पेज प्राप्त होगा, जिस पर उपलब्ध भुगतान विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर शुल्क भुगतान किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक शुल्क भुगतान कर लेने पर अभ्यर्थी को अपने आवेदन की रसीद प्राप्त होगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेवें कि निर्धारित शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए ऑनलाईन आवेदन की पावति एवं भुगतान की रसीद का प्रिंट अपने पास रखना तथा आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3). ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन की प्रक्रिया तक सभी आवश्यक सूचनाएं आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी नियमित रुप से उक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहे। किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रुप से पत्र/SMS देने हेतु आयोग बाध्य नहीं होगा तथा इस आधार पर कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

(4). आवेदक स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान, निर्धारित भुगतान विकल्प चुनकर, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।

(5). ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के फोटोग्राफ संबंधी निर्देशः– आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु **विज्ञापन जारी होने की तिथि** या उसके बाद की तिथि में खिचवाया हुआ पासपोर्ट साइज का फोटो अपने पास रखें। फोटो का बैकग्राउन्ड सफेद/हल्के रंग का होना चाहिए तथा फोटो में अभ्यर्थी की दोनों आंखें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। फोटो के निचले हिस्से पर अभ्यर्थी का नाम तथा फोटो खिचवाने की तिथि प्रिंट की हुई होनी चाहिए। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार खिचवाए गए फोटो को स्केन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्केन करते समय केवल फोटो को ही स्केन किया जाए, बैकग्राउंड (कागज जिस पर फोटो चिपकाया गया हो/Reflective Document Mat) को नहीं। अभ्यर्थी उक्त फोटो की 3 प्रतियां (Hard Copies) अपने पास अवश्य रखें। भविष्य में आयोग द्वारा निर्देशित किए जाने पर अभ्यर्थी को उक्त फोटो प्रस्तुत/प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(6). ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर संबंधी निर्देशः– ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर पृथक अपलोड करना होगा, इस हेतु अभ्यर्थी एक सफेद कागज पर काले बॉल प्वाइंट पेन से हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार हस्ताक्षरित कागज को स्केन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्केन करते समय केवल हस्ताक्षर को ही स्केन किया जाए, बैकग्राउंड (कागज जिस पर फोटो चिपकाया गया हो/Reflective Document Mat) को नहीं।

(7). ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में चाही गई है की सही–सही प्रविष्टि की जाए।

(8). आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है वह प्रमाणित जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझ लें। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात् ही ऑनलाइन आवेदन को Submit बटन क्लिक कर जमा करें तथा आवेदन शुल्क अदा करें।

(9). ऑनलाइन आवेदन Submit करने के तथा शुल्क अदा करने के बाद अभ्यर्थी को अपने ऑनलाईन आवेदन तथा भुगतान की रसीद प्राप्त होगी। जिन्हें प्रिंट कर अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों में मांगें जाने पर उक्त को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन की प्रति तथा भुगतान की रसीद उपलब्ध नहीं रहती है। अतः आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन की प्रति तथा/अथवा शुल्क भुगतान की रसीद उपलब्ध कराने हेतु दिए गए अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उसके द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान सफलता पूर्वक कर दिया गया है।

(10). ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। **अंतिम तिथि के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।**

(11). आवेदक यह ध्यान रखें कि विज्ञापित पद के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार चयन के किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।

(12). ऑनलाईन आवेदन/त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल शुल्क :–

(i) प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क रुपये 30/– + जीएसटी शुल्क देय होगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में केवल एक बार निःशुल्क किया जा सकता है।

(iii) प्रवर्ग सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रुप

क्रमशः

में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

(iv) परीक्षा शुल्क तथा पोर्टल चार्ज किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

नोटः–

(i) आवेदक ऑनलाईन आवेदन की प्रति तथा शुल्क भुगतान की रसीद में दी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपने पास संभालकर रखें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है।

(ii) जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता तथा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(iii) किसी भी साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रकिया अपनी निगरानी में ही करवाएं। ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान अथवा आयोग को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे।

(iv) कार्ड/नेटबैंकिंग/कैश डिपॉजिट के माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान (यदि कोई हो) की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाइन बैंकिग के दौरान फिशिंग/हैंकिग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(v) ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर आवेदनों को मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा, और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी।

<u>प्रवेश पत्र व साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्रः–</u>

(1) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र परीक्षा/साक्षात्कार के लगभग 10 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी।

(2) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र व्यक्तिगत रुप से नहीं भेजे जाएंगे अपितु केवल आयोग की वेबसाइट **www.psc.cg.gov.in** पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र न हो।

(4) अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पत्र के साथ **ID Proof** हेतु *मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड/स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की योजना के तहत आरजीआई द्वारा जारी)/स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी)/जॉब कार्ड फोटो सहित (एनआरईजीए योजना के तहत)/सेवा पहचान पत्र फोटो सहित (राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी)/पासबुक एवं किसान पासबुक फोटो सहित (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/डाकघर द्वारा जारी)/छात्र पहचान पत्र (स्कूलों/कालेजों द्वारा जारी)/बीपीएल परिवार को जारी राशन कार्ड/संपत्ति के दस्तावेज फोटो सहित जैसे–पट्टा, पंजीकृत डिड्स/एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र फोटो सहित (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)/फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन किताब, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश/शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र फोटो सहित* में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(5) यदि प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अवैध हो तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर केन्द्राध्यक्ष/जांच अधिकारी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने से वंचित कर सकेंगे।

□□□□□